मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला,

जिला बालोद (छ.ग.) 491222

स्थापना –23.06.2011

NAAC With a 'C' Grade (CGPA 2.006)

Recognition Under Section of 2F UGC Act .

विवरणिका – 2025-26

PROSPECTUS – 2025-26

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए

(हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) से सम्बद्धता)

प्रकाशक

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद (छ.ग.)

संपर्क –07749-299701 ईमेल आई.डी. – **govtcollegearm@gmail.com**

Web Site - **www.gc-armarikala.in**

विषय – सूची

क्रं.	विवरण
1.	प्राचार्य का संदेश
2.	स्वर्गीय मदनलाल साहू – एक परिचय
3.	महाविद्यालय का परिचय
4.	सत्र 2025–26 का महाविद्यालय का शैक्षणिक कैलेण्डर
5.	महाविद्यालय में संचालित प्रोग्राम/डिग्री/डिप्लोमा
6.	NEP 2020 से संचालित पाठ्यक्रम तथा सेमेस्टर अध्ययन तथा परीक्षा प्रणाली
7.	NEP 2020 के अंतर्गत सेमेस्टर एवं क्रेडिट।
8.	महाविद्यालय में उपलब्ध कोर्स का परीक्षा पद्धति।
9.	स्ववित्तीय पाठ्यक्रम
10.	महाविद्यालय में सत्र 2024–25 प्रवेश हेतु मार्गदर्शिका सिद्धांत।
11.	प्रवेश के समय लिये जाने वाले शुल्क का विवरण।
12.	प्रवेश आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेज तथा प्रपत्रों की सूची।
13.	शुल्क संबंधी रियायतें।
14.	सुरक्षा राशि का प्रत्यावर्तन।
15.	विद्यार्थियों हेतु समय सारणी।
16.	अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं हेतु अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी के लिए शुल्क।
17.	ग्रंथालय
18.	पाठ्योत्तर गतिविधियॉ।
19.	शिक्षक पालक समिति।
20.	हेल्प डेस्क।
21.	ST/SC/OBC प्रकोष्ठ।
22.	महिला प्रकोष्ठ।
23.	नियमित परीक्षार्थियों के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता ।
24.	महाविद्यालय परिसर में उपस्थित होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज या ड्रेस कोड।
25.	विद्यार्थियों के अलावा महाविद्यालय परिसर में कौन–कौन प्रवेश कर सकने वाले की सूची।
26.	छात्रवृत्तियॉ।
27.	महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के लिए आचरण सहिता।
28.	महाविद्यालय में अनुशासन संबंधी अधिनियम।
29.	महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र।
30.	रैगिंग।
31.	महाविद्यालय में विभिन्न समितियॉ।
32.	महाविद्यालय के शैक्षणिक स्टॉफ की सूची।
33.	महाविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची
34.	छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारंटी अधिनियम ।
35.	प्रवेश/परिचय पत्र/राष्ट्रीय सेवा योजना हेतु आवेदन पत्र।

नोट – मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद के विवरणिका 2025–26 में लिपिकीय/मानवीय/टंकन त्रुटि होने से सुधार/निर्णय लेने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।

प्राचार्य की कलम से .....

डॉ. कल्पना पॉल
(प्राचार्य)

प्रिय विद्यार्थियों

उच्च शिक्षा को शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रखकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करने की सरकार की सोच तथा संजारी बालोद क्षेत्र के माननीय पूर्व विधायक स्व. श्री मदनलाल साहू एवं क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की सतत् मांग को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने अरमरीकला में उच्च शिक्षा की पूर्ति हेतु महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की थी।

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिसका पूर्व नाम शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला था, की स्थापना 01 जुलाई 2011 में हुई थी। प्रारंभ में यह महाविद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरमरीकला में संचालित था जहॉ स्नातक स्तर तक कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की कक्षाएँ होती थी। महाविद्यालय का भवन अगस्त 2016 को हस्तांतरित हुआ। अपनी स्थापना से लेकर अब तक महाविद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है। महाविद्यालय को 2022 में नैक की टीम 2.00 CGPA के साथ Cग्रेड प्रदान किया है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास हेतु खेलकूद, साहित्यिक – सांस्कृतिक गतिविधियॉ संचालित की जाती है। महाविद्यालय में PGDCA पाठ्यक्रम भी संचालित है। सत्र 2024–25 से NEP 2020 के तहत् स्नातक सेमेस्टर तथा CBCS प्रणाली से संचालित है। महाविद्यालय राजनीति विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय, सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, छात्रवृत्तियॉ आदि की व्यवस्था है।

महाविद्यालय की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राएँ निश्चित रूप से लांभावित हुए है। विद्यार्थियों में अनुशासन, दक्षता, विषय के प्रति समझ आदि को विकसित करने का प्रयास निरन्तर किया जा रहा है एवं छात्रों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय निरंतर लिए जा रहे है।

प्रतिस्पर्धा के इस युग में अध्ययन के प्रति निष्ठा व एकाग्रता एवं कठिन परिश्रम से ही सफलता व लक्ष्य प्राप्ति संभव है विद्यार्थियों में ऐसी भावना विकसित करना महाविद्यालय का सर्वप्रथम उद्देश्य है तथा महाविद्यालय परिवार का प्रत्येक सदस्य महाविद्यालय की प्रगति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है।

डॉ. कल्पना पॉल
प्राचार्य

स्वर्गीय मदनलाल साहू जी का परिचय

स्व. मदनलाल साहू
समाजसेवी एवं भूतपूर्व विधायक विधानसभा संजारी बालोद

स्व. मदनलाल साहू तत्कालीन दुर्ग जिले के जुझारू एवं ऊर्जावान समाजसेवक एवं राजनेता थे, जिनका व्यक्तित्व एवं छवि आज भी क्षेत्र के आमजन के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री मदनलाल साहू जी अपने युवाकाल से ही समाजसेवा को कर्म बनाया तथा क्षेत्र के युवाओं के शिक्षा एवं रोजगार के लिए जीवन पर्यन्त प्रयास करते रहें।

स्व श्री मदनलाल साहू का जन्म ग्राम अरमरीकला, तहसील – गुरूर, जिला बालोद (छ.ग.) में दिनांक 13/03/1955 को हुआ था। मॉ का नाम स्व. श्रीमती बिसो साहू तथा पिता का नाम श्री जगतराम साहू था। पिता का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जबकि मॉ गृहणी थी। श्री साहू ने प्राथमिक शिक्षा ग्राम अरमरीकला के प्राथमिक शाला से पूर्ण करने के उपरांत स्नातकोत्तर की उपाधि अर्थशास्त्र विषय में अर्थशास्त्र अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से प्राप्त किया, इसके उपरांत श्री साहू ने राजनीतिशास्त्र में भी स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त किया। अध्ययनकाल समाप्त होने के उपरांत उन्होने शासकीय नौकरियों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सेवा करने के पथ का चयन किया तथा जीवन पर्यन्त इसी रास्ते पर चलते रहे। वे अध्यक्ष एवं संरक्षक मॉ चण्डी समिति अरमरीकला, व्यवस्थापक सरस्वती शिशु मंदिर अरमरीकला के पद पर कार्य किये।

श्री साहू जी समाज सेवा करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ा रहना आवश्यक समझते थे, जिसके कारण वे जनपद पंचायत गुरूर में सदस्य, अध्यक्ष जल उपभोक्ता संस्था तथा संजारी बालोद विधानसभा के विधायक के पदों पर निर्वाचित होकर जीवन पर्यन्त समाजसेवा के लिए समर्पित रहे। श्री साहू जी के नक्शे कदम पर चलते हुये उनकी पत्नि श्रीमती कुमारी मदनलाल साहू ने भी समाजसेवा के रास्ते पर चलती रही तथा विधानसभा संजारी बालोद से विधायक निर्वाचित रही।

क्षेत्र में युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की कमी को वे हमेशा से महसूस करते रहें, जिसके लिए वे क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित करने का प्रयास निरंतर करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सत्र 2011 में नवीन शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला प्रारंभ हुआ। क्षेत्र ऐसे जुझार एवं समर्पित समाजसेवक के प्रति हमेशा ऋणि रहेगी। ऐसे कर्मठ एवं माटीपुत्र के नाम पर हमारे महाविद्यालय का नामकरण किये जाने से महाविद्यालय परिवार गर्व महसूस करता है।

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद (छ.ग.)

वर्ष 2011 में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान किया गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक श्रीमति कुमारी मदन साहू द्वारा 01 जुलाई 2011 को किया गया। प्रारंभ में बी.एस.सी. (प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र), बी.ए. (भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र) तथा बी.कॉम प्रोग्राम की अध्ययन अध्यापन की अनुमति प्रदान किया गया। वर्ष 2017 में बी.एस.सी. गणित समूह प्रांरभ किये जाने की अनुमति शासन द्वारा दिया गया। वर्ष 2019 में बी.एस.सी. प्रोग्राम में कम्प्यूटर सांइस कोर्स तथा बी.ए. प्रोग्राम में अर्थशास्त्र कोर्स की अनुमति दिया गया। वर्तमान परिदृश्य एवं क्षेत्रीय मांग अनुरूप सत्र 2022 में शासन द्वारा स्ववित्तीय मद से पीजीडीसीए प्रोग्राम तथा सत्र 2023 से डीसीए प्रोग्राम प्रारंभ करने की अनुमति शासन द्वारा दिया गया। वर्ष 2024–25 में महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू किया गया ळे, जिसके तहत् बीए/बीएससी/बीकॉम. का सत्र 2024–25 में सेमेस्टर प्रणाली लागू किया गया है।

महाविद्यालय वर्ष 2011 से 2015 तक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध रहा, तत्पश्चात् वर्ष 2016 से हेमचंद यादव विश्विद्यालय दुर्ग से संम्बद्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन– अध्यापन, परीक्षा तथा पाठ्योत्तर गतिविधियॉ उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के नीति – नियमों तथा निर्देशानुसार संचालित होता है।

महाविद्यालय में को–एड शिक्षण व्यवस्था है, जिसमें छात्राओं की संख्या अधिक है, जो क्षेत्र में लड़कियों के शिक्षा के प्रति आकर्षण को प्रदर्शित करता है। यह महाविद्यालय 20 एकड़ भूमि में विस्तारित है, जिसमें से 1504 वर्गमीटर में महाविद्यालय भवन तथा शेष भूमि में खेल मैदान, साइकल स्टैड तथा वृक्षारोपण है। परिसर में क्रिकेट,फुटबाल, खो–खो, बैडमिन्टन तथा कब्बडी के खेल मैदान निर्मित है। महाविद्यालय के सीमा को तार–जाली से घेराव किया गया है।

महाविद्यालय भवन में अध्ययन–अध्यापन के लिए 13 कक्ष, प्रायोगिक कार्य हेतु 05 प्रयोगशाला कक्ष निर्मित है। प्राचार्य कक्ष, ICT युक्त कार्यालय, पुस्तकालय, ICT युक्त सभाकक्ष, स्टॉफ रूम, ICT युक्त कम्प्यूटर कक्ष, एन.एन.एस. कक्ष, रेडक्रॉस रूम, स्पोर्टस रूम, छात्राओं के लिए कॉमनरूम तथा छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक–पृथक दो–दो वासरूम महाविद्यालय भवन में स्थापित है। महाविद्यालय में अध्ययनरत अधिकांश छात्र–छात्राएँ निजी साइकल या मोटर साइकल से महाविद्यालय में आवागमन करते है जिसको ध्यान में रखते हुये दो साइकल स्टैंड निर्मित किया गया है। पेयजल, वासरूम में उपयोग तथा पौधरोपण के लिए जल की आवश्यकता को देखते हुए 02 नलकूप स्थापित किये गए है। वाटर हार्वेस्टिंग तथा जैविक खाद निर्माण के लिए भी महाविद्यालय में यूनिट निर्मित किया गया है।

MISSION & VISION OF THE COLLEGE

Mission:-

1- To develop such an excellent type of institution in village and agriculture dominated area, where student can get maximum opportunity for their own holistic development.

2- To inspire student for developing self reliance by increasing their understanding through Continuous valuation and training.

Vision :-

1- To Provide education of high standard to students.

2- To increase opportunities for gain through mutual Cooperation among all students and every member of the college.

3- To make effort for increasing capacity building in all students and every member of college through continuous valuation and training

महाविद्यालय में संचालित प्रोग्राम सत्र – 2025–26

क्र	प्रोग्राम का नाम	स्वीकृत सीट	अनिवार्य योग्यता	अवधि
01	बी.ए. (NEP 2020)	130	10+2 उत्तीर्ण	04 वर्ष
02	बी.कॉम. (NEP 2020)	60	10+2 उत्तीर्ण	04 वर्ष
03	बी.एस.सी. बायो समूह(NEP 2020)	110	10+2 उत्तीर्ण (विज्ञान विषयों के साथ)	04 वर्ष
04	बी.एस.सी. गणित समूह (NEP 2020)	60	10+2 उत्तीर्ण (गणित विषयों के साथ)	03 वर्ष
05	एम.ए. समाजशास्त्र	25	स्नातक उत्तीर्ण	02 वर्ष
06	पीजीडीसीए	40	स्नातक उत्तीर्ण	01 वर्ष
07	डीसीए	30	10+2 उत्तीर्ण	01 वर्ष

नोट – NEP 2020 लागू होने के पूर्व स्नातक प्रोग्राम के लिए 03 वर्ष की अवधि निर्धारित है।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

शैक्षणिक सत्र 2025–26 का अकादमिक कैलेण्डर

– सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम –

क्र	अकादमिक कार्य / गतिविधियां	सेमेस्टर I/III/V/VII		सेमेस्टर II/IV/VI/VIII	
	प्रवेश प्रक्रियाः	नियमित विद्यार्थियों हेतु	स्वध्यायी विद्यार्थियों हेतु	नियमित विद्यार्थियों हेतु	स्वध्यायी विद्यार्थियों हेतु
1	प्रथम सेमेस्टर	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक	पंजीयन 31 अगस्त 2025 तक	———	———
	कुलपति की अनुमति से	14 अगस्त 2025 तक	———	———	———
	अन्य सेमेस्टर (III/V/VI)	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक	———	प्रवेश नवीनीकरण परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक	———
2	अध्यापन कार्य आरंभ	01 जुलाई 2025 से	———	02 जनवरी 2026	———
3	महाविद्यालय में विद्याथियों हेतु इन्डक्शन कार्यक्रम का आयोजन	20 से 31 जुलाई 2025 के मध्य	15 सितम्वर 2025 तक	10 से 15 जनवरी 2026 के मध्य	30 जनवरी 2026 तक
4	विद्यार्थियों द्वारा GE / DSE & VAC/ SEC का चयन	05 अगस्त 2025 तक	25 सितम्वर 2025 तक	15 जनवरी 2026 तक	30 जनवरी 2026 तक
5	GE /DSE & VAC/ SEC कोर्सवार विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया जाना	20 अगस्त 2025 तक	30 सितम्बर 2025 तक	05 फरवरी 2026 तक	10 फरवरी 2026 तक
6	सतत् आंतरिक मूल्यांकन(CIA): असाइनमेन्ट का आबंटन	25 अगस्त 2025 तक	30 सितम्बर 2025 तक	05 फरवरी 2026 तक	10 फरवरी 2026 तक
7	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): प्रथम टेस्ट / क्विज	8, 9, 10, 11, 12 सितम्बर, 2025	10 अक्टूबर 2025 तक	24,25,26,27,28 फरवरी, 2026	10 मार्च 2026 तक
8	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): द्वितीय टेस्ट / क्विज	13, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर, 2025	10 नवम्बर 2025 तक	06,07,08,09,10 अप्रैल, 2026	10 अप्रैल 26 तक

क्र	अकादमिक कार्य / गतिविधियां	सेमेस्टर I/III/V/VII		सेमेस्टर II/IV/VI/VIII	
9	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): असाइनमेंट का मूल्यांकन	10 नवम्बर 2025 तक	20 नवम्बर 2025 तक	15 अप्रैल 2026 तक	24 अप्रैल 26 तक
10	प्रायोगिक परीक्षा का संचालन	10 से 20 नवम्बर 2025	10 से 20 नवम्बर 2025	15 से 24 अप्रैल 2026 तक	15 से 24 अप्रैल 2026 तक
11	परीक्षा पूर्व तैयारी	21 से 27 नवम्बर 2025	———	24 से 30 अप्रैल 2026 तक	———
12	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): प्राप्तांको का विश्वविद्यालयों को प्रेषण	22 नवम्बर 2025 तक	22 नवम्बर 2025 तक	28 अप्रैल 2026 तक	28 अप्रैल 2026 तक
13	अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE):	28 नवम्बर 2025 से		04 मई 2026 से	

— वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम —

क्र.	अकादमिक कार्य / गतिविधियां	तृतीय वर्ष हेतु तिथियाँ
1.	प्रवेश प्रक्रियाः	31 जुलाई 2025 तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक
2	अध्यापन कार्य आरंभ	01 जुलाई 2025 से
3.	वर्षिक परीक्षाओं का आयोजन	01 मार्च 2026 से
4.	वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा	10 जून 2026 तक
5	पुनर्मूल्यांकन के परिणाम की घोषणा	31 जुलाई 2026 से
6	पूरक परीक्षा का आयोजन	यथासम्भव न्यूनतम अवधि में
7	पूरक परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा	15 सितम्बर 2026 तक

शैक्षणिक सत्र 2025–26 का अकादमिक कैलेण्डर
— सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम —

क्र.	अकादमिक कार्य / गतिविधियां	सेमेस्टर I / III	सेमेस्टर II / IV
1.	प्रवेश प्रक्रियाः प्रथम सेमेस्टर	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक	
		16 जून से 31 जुलाई 2025 तक	———
	कुलपति की अनुमति से	14 अगस्त 2025 तक	———
	तृतीय सेमेस्टर	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक	प्रवेश नवीनीकरण परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत 10 दिन तक
2	अध्यापन कार्य आरंभ	01 जुलाई 2025 से	02 जनवरी 2026
3.	आंतरिक मूल्यांकनरू असाइनमेन्ट /सेमिनार /प्रोजेक्ट का आबंटन	25 अगस्त 2025 तक	05 फरवरी 2026 तक
4.	आंतरिक मूल्यांकन – प्रथम टेस्ट	8, 9, 10, 11, 12 सितम्बर, 2025	24,25,26,27,28 फरवरी, 2026
5.	आंतरिक मूल्यांकन– द्वितीय टेस्ट	13, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर, 2025	06,07,08,09,10 अप्रैल, 2026

6.	आंतरिक मूल्यांकनः असाइनमेन्ट /सेमिनार /प्रोजेक्ट का मूल्यांकन	10 नवम्बर 2025 तक	15 अप्रैल 2026 तक
7.	प्रायोगिक परीक्षा का संचालन	10 से 20 नवम्बर 2025	15 से 24 अप्रैल 2026 तक
8.	परीक्षा पूर्व तैयारी	21 से 27 नवम्बर 2025	24 से 30 अप्रैल 2026 तक
9.	आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांको का विश्वविद्यालयों को प्रेषण	22 नवम्बर 2025 तक	28 अप्रैल 2026 तक
10.	अंत सेमेस्टर परीक्षा	28 नवम्बर 2025 से	04 मई 2026 से

पी–एच.डी. कार्यकम हेतु सत्रीय अकादमिक कैलेण्डर

क्र	अकादमिक कार्य/गतिविधियां	निर्धारित तिथि/अवधि
1	पी–एच.डी. पाठक्रम प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना	31 जुलाई तक
2	पी–एच.डी. पाठक्रम प्रवेश परीक्षा आयोजन	14 अगस्त तक
3	पी–एच.डी. पाठक्रम प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा	30 अगस्त तक
4	विभागीय शोध समिति की बैठक का आयोजन	30 सितम्बर तक
5	पी–एच.डी. पाठक्रम में प्रवेश	30 अक्टूबर तक
6	पी–एच.डी. पाठक्रम का कोर्सवर्क अध्यापन कार्य	नबंबर से मार्च
7	कोर्सवर्क की परीक्षा का आयोजन	15 मई से 30 मई के मध्य
8	कोर्सवर्क की परीक्षा परीणाम की घोषणा	30 जून तक

——— सत्रीय अन्य गतिविधियॉ ———

क्र	गतिविधियां/विवरण	निर्धारित तिथि/अवधि
1	छात्रसंघ गठन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण	शासन के निर्देशानुसार
2	खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियॉ –	
	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं आरम्भ किया जाना	द्वितीय सप्ताह जुलाई 2025 से
	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन	अंतिम सप्ताह नवम्बर 2025 तक
	खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का वार्षिक आयोजन	प्रथम सप्ताह जनवरी 2026
3	एन.सी.सी./एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियॉ –	
	वृक्षारोपण कार्यक्रम	द्वितीय सप्ताह जुलाई 2025
	एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प का आयोजन	प्रथम सप्ताह नवम्बर 2025
	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव/पुरस्कार वितरण का आयोजन	प्रथम सप्ताह जनवरी 2026
4	विश्वविद्यालय स्तर पर दीक्षान्त समारोह का आयेजन	जनवरी – फरवरी 2026
5	अवकाश –	
	दशहरा अवकाश – 03 दिन	29 सितम्बर से 01 अक्टूबर 2025 तक
	दीपावली अवकाश – 05 दिन	17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक
	शीतकालीन अवकाश – 03 दिन	26 दिसम्बर से 28 दिसम्बर 2025 तक
	ग्रीष्मकालीन अवकाश – 30 दिन	16 मई 2026 से 14 जून 2026

महाविद्यालय में संचालित स्नातक भाग 03 एवं एम.ए., पीजीडीसीए एवं डीसीए प्रोग्राम एवं कोर्स

क्रं.	प्रोग्राम का नाम	प्रवेश हेतु कोर्स का नाम	कोर्स का प्रश्न पत्र का नाम एवं इकाई की संख्या	प्रत्येक प्रश्न पत्र के वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम अंक
01	बी.ए. भाग तीन	भूगोल	1. सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली 05 2. छत्तीसगढ़ का भूगोल – 05 3. प्रायोगिक भूगोल–05	अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक
		समाजशास्त्र	1. समाजशास्त्रीय विचारों की स्थापना – 05 2. समाजिक अनुसंधान विधिया–05	अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 26 अंक
		राजनीति विज्ञान	1. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति–05 2. लोक प्रशासन–05	अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 26 अंक
		अर्थशास्त्र	1. विकास और पर्यावरण –05 2. सांख्यिकीय पद्धतियॉ –05	अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 26 अंक
02	बी.एस.सी. भाग तीन	वनस्पतिशास्त्र	1. Techniue Pamolory– 05 2. Cellboo & Genertics– 05 3. Practical – 05	अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक
		प्राणीशास्त्र	1. Ecology, Toxicology - 05 2. Genetics, Cell Physiology - 05 3. Practical - 05	अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक
		रसायनशास्त्र	1. Qnaganic Chemistry – 05 2. Organic Chemistry – 05 3. Physical chemistry– 05 3. Practical – 05	अधिकतम 33 अंक न्यूनतम 12 अंक
		भौतिकशास्त्र	1. Relativity Quantum mechnics– 05 2. Solid physics & electronics– 05 3. Practical – 05	अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक
		कम्प्यूटर सांइस	1. Computer Hardware– 05 2. DBMS & Visual Basic– 05 3. Practical – 05	अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक
		गणित	1. Analyis -05 2. Abstract Algebdra– 05 3. Discrate Mathematices– 05	अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक
03	बी.कॉम. भाग तीन	अनिवार्य प्रश्न पत्र	आयकर एवं जीएसटी, अंकेक्षण, प्रबंधकीय लेखांकन, अप्रत्यक्ष कर, अंतराष्ट्रीय विपणन, विपणन के सिद्धांत – प्रत्येक में 05 इकाई	अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 25 अंक
04	एम.ए. समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर	समाजशास्त्र	Classical Sociologycal Tradition, Philosophical and Conceptual Foundation of Research Methodology, Social Chage in India Rural Sociology, Practical - I Classical Sociologycal Thinkers, Quantitative Research Techniques in Sociology, Sociology of Development Indian Rural Society, Practical-II Classical Sociologycal Theories, Social Movements in India, Perspectives of Study to Indian Society,	अधिकतम 100 अंक न्यूनतम 33 अंक

			Industry and Society in India Criminology. Moodern Sociological Theories, Comparative Sociology, Contemporary Issues in Industry, Criminology Correctional administraion, Project Report प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में 05 इकाई निर्धारित है	
05	पीजीडीसीए	कम्प्यूटर	सभी अनिवार्य विषय	अधिकतम – 100 अंक न्यूनतम – 20 अंक (औसत न्यूनतम 40)
06	डीसीए	कम्प्यूटर	सभी अनिवार्य विषय	अधिकतम – 100 अंक न्यूनतम – 20 अंक (औसत न्यूनतम 40)

स्नातक स्तर पर NEP -2020 के तहत् विद्यार्थियों हेतु अध्ययन – अध्यापन

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में सत्र 2024–25 से NEP -2020 के तहत स्नातक स्तर पर सेमेस्टर एवं CBCS लागू की गयी है। CBCS पद्वति में नियमित तथा अमहाविद्यालयीन विद्यार्थियों को कोर कोर्सेस के अलावा विभिन्न वैकल्पिक विषयों के कोर्सेस लेने की सुविधा दी गयी है। इसके तहत वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा संचालित अध्ययन–अध्यापन योजना निम्नानुसार है।

महाविद्यालय में उपलब्ध DSC/DSE के विषय निम्नानुसार है।

क्रं.	संकाय	**DSC/DSE के विषय**
01	कला	भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिविज्ञान, अर्थशास्त्र
02	जीव–विज्ञान	वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र,
03	गणित	गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर सांइस
04	वणिज्य	सभी अनिवार्य विषय

महाविद्यालय में उपलब्ध जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स (GE) हेतु विकल्प कोर्स विषय –

क्रं.	मूल संकाय (जिसमें प्रवेश लिया गया है)	**जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स (GE) हेतु विकल्प कोर्स**
01	कला संकाय	वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर सांइस, वाणिज्य के कोर्स
02	जीव–विज्ञान संकाय	गणित, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर सांइस, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिविज्ञान अर्थशास्त्र, वाणिज्य के कोर्स
03	गणित संकाय	वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिविज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य के कोर्स
04	वाणिज्य संकाय	गणित, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर सांइस, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र के कोर्स

उपरोक्त कोर्स के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग तथा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा निर्धारित कोर्स टाइटल के अंतर्गत अध्ययन–अध्यापन किया जायेगा। **GE/VAC/SEC** अध्ययन के लिए 10 से अधिक विद्यार्थी इच्छुक तथा महाविद्यालय में कोर्स संचालन के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध होने से कोर्स संचालित किया जाएगा।

महाविद्यालय में SEC/VAC - स्कील ऐन्हासमेंट कोर्स/वेल्यू ऐडेड कोर्स का चयन उच्च शिक्षा विभाग तथा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का निर्धारित कोर्स का अध्ययन–अध्यापन किया जायेगा। प्रवेश के समय महाविद्यालय में SEC/VAC के लिए निर्धारित कोर्स सूचना पटल/महाविद्यालय या हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

एबिलिटी एन्हासमेंट कोर्स (AEC) – उच्च शिक्षा विभाग तथा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के निर्देशानुसार NEP - 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में एबिलिटी एन्हासमेंट कोर्स का संचालन निम्नानुसार होगा।

पाठ्यक्रम	प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर
बी.ए.	पर्यावरण अध्ययन (**AEC-01**)	अंग्रेजी भाषा (**AEC-02**)	हिन्दी भाषा (**AEC-03**)
बी.एस.सी.	अंग्रेजी भाषा (**AEC-02**)	हिन्दी भाषा (**AEC-03**)	पर्यावरण अध्ययन (**AEC-01**)
बी.कॉम.	हिन्दी भाषा (**AEC-03**)	पर्यावरण अध्ययन (**AEC-01**)	अंग्रेजी भाषा (**AEC-02**)

परीक्षा प्रणाली

1. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के निर्देशानुसार सत्र 2024–25 स्नातक स्तर के सभी संकायों के समस्त सेमेस्टर विद्यार्थियों को आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन परीक्षाओं के 30 प्रतिशत अंक मुख्य सेमेस्टर परीक्षा के अंकों के साथ जोड़कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निर्धारित कोर्सेस के मूल्यांकन के द्वारा किया जायेगा। किसी प्रोग्राम में प्रवेशित छात्रों का मूल्यांकन निम्नानुसार होगा –

क्रं.	विशिष्ट	2024–25 से स्नातक में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु
1	सेमेस्टर अंत में परीक्षा	कुल अंकों का 70% अंक
2	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा/संगोष्ठी/प्रश्नोत्तरी/ + असाइन्मेंट)	कुल अंकों का 30% अंक (आंतरिक मूल्यांकन 20% अंक+ असाइन्मेंट 10% अंक)
3	अर्हकारी अंक	कुल अंकों का 40% अंक

2. सेमेस्टर अंत की परीक्षाएं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक कलेण्डर के अनुसार होगी तथा सेमेस्टर अंत परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी।
3. प्रत्येक सेमेस्टर के किसी प्रोग्राम को उत्तीर्ण करने के लिए ना सिर्फ प्रत्येक कोर्स में (आंतरिक और बाहरी दोनों अंको सहित) न्यूनतम 40% अंक, अपितु प्रत्येक सेमेस्टर में समग्र रूप से भी न्यूनतम 40% अंक होने चाहिए। अर्थात 100 अंक में 40 अंक तथा 50 में 20 अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
4. प्रत्येक प्रोग्राम के प्रत्येक सेमेस्टर में क्रेडिट की एक निर्दिष्ट संख्या होगी। छात्र द्वारा संतोषजनक रूप से उत्तीर्ण किए गए ग्रेड अंकों के साथ क्रेडिट की संख्या छात्र के प्रदर्शन को प्रदर्शित करेगी।
5. स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों में क्रमशः तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय सेमेस्टर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नही होगी। VAC के स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर में SEC चयन करना होगा तथा AEC का क्रमशः उच्च शिक्षा विभाग/ हेमचदं यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा निर्धारित भाषा का चयन करना होगा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में ATKT प्राप्त परीक्षार्थी स्नातक द्वितीय सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश के पात्र रहेंगें। चाहे परीक्षार्थी सभी प्रश्नपत्रों में अनुउत्तीर्ण हुआ हो।

Course Curriculum For Undergraduate Programme (B.A./B.Sc./B.Com)

First Year

Semester	DSC (B.Com)	DSC (B.A./B.Sc.)	DSE	GE	AEC	VAC/SEC	Credits (C)
I	DSC A 1 (4C)	DSC A 1 (4C)	-	GE-01 (4C) From the pool	AEC-01 (2C) EVS/Hin/Eng	VAC-01 (2C) From the pool	20
	DSC A 2 (4C)	DSC B 1 (4C)	-				
	DSC A 3 (4C)	DSC C 1 (4C)	-				
II	DSC A 4 (4C)	DSC A 2 (4C)	-	GE-02 (4C) From the pool	AEC-02 (2C) EVS/Hin/Eng	SEC-01 (2C) From the pool	20
	DSC A 5 (4C)	DSC B 2 (4C)	-				
	DSC A 6 (4C)	DSC C 2 (4C)	-				

Second Year

III	DSC A 7 (4C)	DSC A 3 (4C)	DSE-01 of A/B/C (4C) or GE-03 (4C) From the pool	AEC-03 (2C) EVS/Hin/Eng	VAC-02 (2C) From the pool	20
	DSC A 8 (4C)	DSC B 3 (4C)				
	DSC A 9 (4C)	DSC C 3 (4C)				
IV	DSC A 10 (4C)	DSC A 4 (4C)	DSE-02 of A/B/C (4C) or GE-04 (4C) From the pool	AEC-04 (2C) Communicative	SEC-02 (2C) From the pool	20
	DSC A 11 (4C)	DSC B 4 (4C)				
	DSC A 12 (4C)	DSC C 4 (4C)				

Third Year

Semester	DSC (B.Com)	DSC (B.A./B.Sc.)	DSE	GE	VAC/Intern	SEC	Credits (C)
V	DSC A 13 (4C)	DSC A 5 (4C)	DSE-03 of A/B/C (4C) or GE-05 (4C) From the pool		VAC-03 (2C) From the pool	SEC-03 (2C) From the pool	20
	DSC A 14 (4C)	DSC B 5 (4C)					
	DSC A 15 (4C)	DSC C 5 (4C)					
VI	DSC A 16 (4C)	DSC A 6 (4C)	DSE-04 of A/B/C (4C) or GE-06 (4C) From the pool		Internship (2C) From the pool	SEC-04 (2C) From the pool	20
	DSC A 17 (4C)	DSC B 6 (4C)					
	DSC A 18 (4C)	DSC C 6 (4C)					

Fourth Year

Semester	DSC (B.Com)	DSC (B.A./B.Sc.)	Bachelor degree with Honors: Students with less than 7.5 CGPA after 3rd year	Bachelor degree with Honors & research: Students with at least 7.5 CGPA after 3rd year		Credits (C)
VII	DSC A 19 (4C)	DSC A/B/C 7 (4C)	DSE-05 (4C), DSE-06 (4C) DSE-07 (4C), DSE-08 (4C)	DSE-05 (4C) DSE-06 (4C) DSE-07 (4C)	DS Research Methodology	20
VIII	DSC A 20 (4C)	DSC A/B/C 8(4C)	DSE-09 (4C), DSE-10 (4C) DSE-11 (4C), DSE-12 (4C)	DSE-08 (4C) DSE-09 (4C) DSE-10 (4C)	Research work Dissertation (4C+4C)	20/24

Course code	Course Name	Explanation
DSC	Discipline Specific Core	मुख्य कोर्स, संख्या 3, (3 विषय) (1 से 6 सेमेस्टर), 1 (7 से 8 सेमेस्टर) ।
DSE	Discipline Specific Elective	मुख्य कोर्स से सम्बंधित अंतर्संकाय कोर्स, तीसरे सेमेस्टर से चयन कर लिया जा सकता है।
GE	Generic Elective	संकाय समूह से भिन्न एक कोर्स जिसका चयन कोर्स समूह (**pool**) से विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार करेगा।
AEC	Ability Enhancement Course	क्षमता के विकास हेतु एक कोर्स, 1 – 4 सेमेस्टर तक प्रत्येक सेम. में एक कोर्स ।
VAC	Value Addition Course	मूल्य वर्धन हेतु एक कोर्स, 1 , 3 व 5 सेमेस्टर में विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार **pool** से करेगा।
SEC	Skill Enhancement Course	कौशल विकास हेतु एक कोर्स 2, 4, 5 एवं 6 सेमेस्टर में विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार **pool** से करेगा।
C	Credit	सैद्धातिक में 1 क्रेडिट = 15 घंटे का अध्ययन। प्रायोगिक में 1 क्रेडिट = 30 घंटे का अध्ययन।

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. प्रदेश में सत्र 2024–25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन पाठ्यक्रमों में लागू किया गया है?

उत्तर – प्रदेश में सत्र 2024–25 से समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.कॉम., बी.एस–सी., बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहें है।

प्रश्न 2. सेमेस्टर से तात्पर्य क्या है?

उत्तर – सेमेस्टर का तात्पर्य प्रति 06 माह की अध्ययन–अध्यापन की अवधि है । किसी पाठ्यक्रम संदर्भित निर्धारित पाठ्यचर्या का शैक्षणिक कार्य (टीचिंग लर्निंग) एवं उसके मूल्यांकन कार्य सम्पादन हेतु छः/06 माह की अवधि का निर्धारण किया जाना सेमेस्टर कहलाता है, जहॉ एक सेमेस्टर में 15 सप्ताह/90 दिवस शैक्षणिक कार्य (टीचिंग लर्निंग) किया जाना सुनिश्चित होता है।

प्रश्न 3 क्रेडिट से क्या तात्पर्य है।

उत्तर – सैद्धांतिक कोर्स हेतु एक लेक्चर/पीरियड/कालखण्ड/घण्टा का अध्यापन प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट कहलाता है। अर्थात सेमेस्टर के अंतर्गत कुल 15 घण्टे/कालखण्ड का किया गया टीचिंग लर्निंग कार्य एक क्रेडिट होगा। यद्यपि प्रायोगिक कोर्स/फिल्ड कार्य/प्रोजेक्ट कार्य हेतु 02 कालखण्ड/पीरियड/घण्टा का अध्यापन/प्रशिक्षण प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट कहलाता है। अर्थात सेमेस्टर अंतर्गत कुल 30 घण्टे/कालखण्ड का किया गया प्रायोगशाला/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क का कार्य एक क्रेडिट होगा।

प्रश्न 4. CBCS से क्या तात्पर्य है?

उत्तर – CBCS का पूर्ण रूप हैः– चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (Choice Based Credit System) है जिसके अंतर्गत एक संकाय का विद्यार्थी दूसरे संकाय का विषय जो क्रेडिट पद्धति पर आधारित है को अध्ययन हेतु चयन कर सकता है

प्रश्न 5. बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास (Multiple Entry & Multiple Exit) का क्या अर्थ है?

उत्तर – बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है जिसमे विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम में एक से अधिक बार प्रवेश एवं निकास कर सकता है परन्तु उसे उक्त स्नातक के पाठ्यक्रम को अधिकतम 07 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। 07 वर्ष में पूर्ण न करने की स्थिति में वह पाठ्यक्रम से बाहर हो जाएगा। अर्थात किसी विद्यार्थी द्वारा बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास का लाभ अधिकतम 07 वर्ष के अन्तर्गत हीं लिया जा सकता है।

प्रश्न 6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत DSC, DSE, GE, AEC, SEC, VAC का क्या तात्पर्य है?

उत्तर – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहु–संकायी एवं बहु विषयी पाठ्यक्रम पद्धति अंतर्गत उपयोग में किये जा रहे उक्त शब्दों की व्याख्या निम्नानुसार है–

DSC- Discipline Specific Course (विषय विशिष्ट पाठय्चर्या) – किसी विषय /डिसीप्लीन को परिभाषित करने वाला मूल पाठ्यचर्या को ही **DSC** कहा जाता है। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अर्न्तगत पूर्व की भॉति विद्यार्थीयों द्वारा चयनित तीन विषय /डिसीप्लीन के **DSC** का अध्ययन प्रति सेमेस्टर किया जाना है।

DSE - Discipline Specific Elective (विषय विशिष्ट ऐच्छिक) – किसी विषय/डिसीप्लीन के संबंधित विशेष विषय शाखा की पाठ्यचर्या को **DSE** कहा जाता है। इसके अंतर्गत इन्टर डिसीप्लीनरी पाठ्यचर्चा भी सम्मिलित किये जाते है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार विद्यार्थियों द्वारा चयनित इच्छाकृत विषय/डिसीप्लीन के **DSE** का अध्ययन तृतीय सेमेस्टर से किया जा सकेगा।

GE - Generic Elective (सामान्य ऐच्छिक) – मूल संकाय के अतिरिक्त किसी संकाय के विषय /डिसीप्लीन के कोर्स को ही **GE** कहा जाता है। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अर्न्तगत विद्यार्थीयों द्वारा अन्य संकाय के किसी डिसीप्लीन के कोर्स का चयन **GE** के रूप मे किया जायेगा। अर्थात कला संकाय के विद्यार्थी विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी कला एवं वाणिज्य संकाय के तथा वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी कला एवं विज्ञान संकाय के कोर्स **GE** के रूप में चयन कर सकते हैं। यद्यपि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थीयों द्वारा **GE** का चयन किया जाना अनिवार्य है, तथापि तृतीय सेमेस्टर से **GE** का चयन करना अथवा नहीं करना उनकी इच्छा पर आधारित होगा।

AEC- Ability Enhancement Course (योग्यता अभिवृद्धि पाठय्चर्या) – सामान्य योग्यता में यथेष्ट वृद्धि कर उपयुक्त स्नातक की योग्यता प्रदर्शित करने वाला कोर्स को **AEC** कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः विभिन्न भाषा एवं पर्यावरण के ज्ञान सम्बन्धित पाठय्चर्या सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार विद्यार्थीयों द्वारा प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक 2–2 क्रेडिट के **AEC** का अध्ययन किया जायेगा जिसमें पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य संप्रेषणीय भाषा सम्मिलित हैं।

SEC- Skill Enhancement Course (कौशल अभिवृद्धि पाठय्चर्या) – उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाला कोर्स को **SEC** कहा जाता है। प्रावधानानुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित कौशल अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर में अध्यायन किया जावेगा।

VAC- Value Added/Addition Course (मूल्य वर्धित पाठय्चर्या) – उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाला कोर्स को **VAC** कहा जाता है। प्रावधानानुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित मूल्य अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में अध्यायन किया जावेगा।

प्रश्न 7. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्ष का हो गया है?

उत्तरः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 एवं 4 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम दोनों का प्रांवधान है, जो पूर्णतः विद्यार्थी के इच्छा पर आधारित होगा। यदि विद्यार्थी चाहे तो वह 03 वर्ष की निर्धारित कोर्स अध्ययन करने के पश्चात निर्धारित पाठ्यक्रम की डिग्री प्राप्त कर पाठ्यक्रम छोड़ सकता है। 04 वर्ष पूर्ण करने की कोई बाध्यता नहीं हैं। यदि विद्यार्थी आगे अध्ययन चाहता है तो वह चौथे वर्ष (7वें एवं 8वें सेमेस्टर) हेतु निर्धारित कोर्स का अध्ययन, आनर्स अथवा आनर्स विथ रिसर्च की उपाधि हेतु पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा। {तीन वर्ष के पश्च्यात विद्यार्थी को प्राप्त अंक का प्रतिशत यदि यदि 75 या उससे अधिक हो तो वह चौथे वर्ष में आनर्स विथ रिसर्च या आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगा। यदि विद्यार्थी दारा प्राप्त अंक का प्रतिशत 75 से कम है तो वह केवल आनर्स पाठ्यक्रम में ही प्रवेश ले पाएगा।}

प्रश्न 8. क्या विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर : उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 या 4 वर्षीय स्नामक पाठ्यक्रम ही संचालित हैं, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं । परन्तु यदि कोई विद्यार्थी 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तथा परिस्थितिवश किसी कारण (आर्थिक/पारिवारिक या अन्य किसी कारण) से पाठ्यक्रम को एक वर्ष (02 सेमेस्टर) के पश्चात छोड़ना चाहता है तो उस स्थिति में उसे दोनों सेमेस्टर के कुल 40 क्रेडिट अर्जित करते हुए अतिरिक्त 04 क्रेडिट का वोकेशनल/कौशल कोर्स, किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्लेटफॉर्म से अर्जित करना होगा। कुल 44 क्रेडिट अर्जित करने पर उसे निर्धारित संकाय के अंतर्गत सर्टिफिकेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। यदि दो वर्ष (04 सेमेस्टर) के पश्च्यात छोड़ना चाहता है तो उस स्थित में उसे चारों सेमेस्टर के कुल 80 क्रेडिट अर्जित करते हुए अतिरिक्त 04 और क्रेडिट का वोकेशनल/कौशल कोर्स, किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्लेटफॉर्म से अर्जित करना होगा । तद्नुसार कुल 84 क्रेडिट अर्जित करने पर उसे निर्धारित संकाय के अंतर्गत डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जाएगी।

प्रश्न 9. क्या विद्यार्थी के द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के एक एक विषय के **DSC** का चयन किया जा सकता है?

उत्तर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्तर्गत संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली के प्रावधानानुसार विद्यार्थी किसी एक संकाय के ही तीन विषय/डिसीप्लीन का चयन कर सकता है। अलग–अलग संकाय से विषय/डिसीप्लीन का चयन करने का प्रावधान नहीं है। अपितु अन्य संकाय से विषय/डिसीप्लीन का चयन **GE** के रूप में किया जाना है।

प्रश्न 10. क्या विद्यार्थी **GE (Generic Elective)** में अपनी इच्छानुसार कोई भी विषय का चयन कर सकता है?

उत्तर. वर्तमान में लागू प्रावधानानुसार कोई विद्यार्थी अन्य संकाय का उसी विषय मात्र का **GE** चयन कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गए महाविद्यालय में संचालित है।

प्रश्न.11. क्या कोई विद्यार्थी अन्य महाविद्यालय में संचालित विषय/विषयों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है?

उत्तर. वर्तमान में लागू प्रावधानानुसार कोई विद्यार्थी केवल उसी विषय/विषयों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गये महाविद्यालय में उपलब्ध है।

प्रश्न 12. SWAYAM एवं MOOC क्या हैं?

उत्तर. **SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds)** भारत सरकार का पोर्टल है जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करनेवाला एक निःशुल्क मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है। **MOOC (Massive Open Online Course)** एक विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य वेब के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है।

प्रश्न 13. क्या पूर्व की तरह सम्पूर्ण अंक वार्षिक परीक्षा पर ही आधारित हैं?

उत्तर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में आतंरिक मूल्यांकन पर 30 प्रतिशत अंक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा पर 70 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थियों को आतंरिक परीक्षा एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा दोनों के अंकों को मिलाकर उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रश्न 14. क्या अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए आतंरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है?

उत्तर. सतत आतंरिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंत सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जायेंगे। अतः सतत् आतंरिक मूल्यंकन में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

प्रश्न 15. सतत् आतंरिक मूल्यांकन में कितने आतंरिक परीक्षाएं होंगी और क्या सभी का अंक सेमेस्टर परीक्षा के अंक के साथ जुड़ेगा?

उत्तर. वर्तमान में प्रयुक्त प्रावधानानुसार प्रति सेमेस्टर प्रति कोर्स के सतत् आतंरिक मूल्यंकन **(CIA)** अन्तर्गत दो टेस्ट/क्विज परीक्षा एवं एक एसाईनमेंट होगी । दो टेस्ट/क्विज परीक्षा में प्राप्त बेहतर अंक तथा एसाईनमेंट में प्राप्त अंक का योग सेमेस्टर परीक्षा के अंको के साथ जोड़ा जाएगा।

उदाहरणार्थ 100 अंक का कोर्स में 30 अंक सतत आतंरिक मूल्यंकन **(CIA)** के लिए निर्धारित है, जहॉ 20–20 अंक का दो टेस्ट/क्विज परीक्षा होगी तथा 10 अंक का एसाईनमेंट दिया जायेगा । यदि प्रथम टेस्ट/क्विज परीक्षा में 12 अंक, द्वितीय टेस्ट/क्विज परीक्षा में 17 अंक तथा एसाईनमेंट में 08 अंक प्राप्त होतां है तो 17+08 = 25 अंक अंत सेमेस्टर परीक्षा के प्राप्तांक में जोडा जायेगा।

प्रश्न.16. क्या विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किये द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर. विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किये द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है परंतु उसे सतत् आतंरिक मूल्यंकन **(CIA)** में संम्मिलित होना तथा अंत सेमेस्टर

परीक्षा में परीक्षा फॉर्म जमा कर अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। कतिपय कारणवश विद्यार्थी अंत सेमेस्टर परीक्षा में अंशतः या पूर्णतः उपस्थित नहीं होता है अथवा पूर्णतः उपस्थित होकर अंशतः या पूर्णतः क्रेडिट अर्जित करता है तो भी वह द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

प्रश्न. 17. क्या विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किये तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर. नहीं, विद्यार्थी को तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट का 50% क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है। अर्थात तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट 40 में से न्यूनतम 20 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है।

प्रश्न.18. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सत्र 2024–25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी लागू होगी?

उत्तर. सत्र 2024–25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है। आगामी सत्रों से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू की जायेगी।

प्रश्न.19. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समस्त प्रावधान स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे?

उत्तर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का आंशिक रूपांतरित प्रारूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर लागू होंगे। स्वध्यायी विद्यार्थी पूर्ववत स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करेगे परन्तु आरम्भ में हीं पंजीयन/नामांकन कराना होगा तथा निर्धारित अवधि अन्तर्गत उक्त महाविद्यालय में, जिसमे वह पंजीबद्ध हुआ है, निर्धारित योजना अनुरूप सत्त आतंरिक मूल्यंकन (CIA) मे सम्मिलित होना होगा।

प्रश्न. 20. क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा ?

उत्तर. उल्लेखित है कि विगत सत्र तक स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा स्वेच्छिक महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन भरा जाता रहा है। वर्तमान प्रावधानानुसार सत्रारम्भ में (माह अगस्त–सितम्वर) स्वध्यायी विद्यार्थियों को स्वेच्छिक महाविद्यालय द्वारा पंजीयन/नामांकन कार्य पूर्ण करना होगा। पूनः विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचनानुसार परीक्षा आवेदन पूर्ववत भरा जायेगा।

प्रश्न. 21. क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों का भी सतत् आतंरिक मूल्यांकन (CIA) होगा ?

उत्तर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के पालनार्थ स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी सतत् आतंरिक मूल्यांकन (CIA) में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसका स्वरूप/कार्य योजना विश्वविद्यालय के दिशा –निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय द्वारा सूचित किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 2025–26

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2025–26

1. प्रयुक्ति :

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को राजकीय विश्वविद्यालय तथा संबद्ध शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालयों को छोड़कर समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में से महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमानुसार प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

(स) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्यतानुरुप किसी भी संशोधन/परिवर्धन सम्बन्धित निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(द) विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जायेगा। स्वशासी महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्ष अर्थात सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सम्बन्धित अध्यादेश के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :**

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं/सेमेस्टर हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस तक) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जायेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं पूर्व सेमेस्टर के कोर्सेस/कोर्स केडिट का मिलान करना आवश्यक होगा तथा आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण –

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक **"ख"** ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन/*पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

विधि संकाय के अतिरिक्त वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत (अंतिम वर्ष में) अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

सेमेस्टर प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का प्रावधान नही है, परन्तु किसी सेमेस्टर के किसी कोर्स विशेष में प्रावधानानुसार निविदत्त मूल्यांकन (Challanged Valuation) द्वारा परिणाम में परिवर्तन होने की स्थिति में सेमेस्टर वार प्रोन्नति नियम (Semesterwisre Promotion Rule) के अनुसार आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत होने की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही **क्रमानुगत** सेमेस्टर के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अंतर्गत प्रत्येक संकाय में अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही आवेदकों को प्रवेश देंगे।

3.4 प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के प्रमुख बिन्दुओं सहित संस्थान्तर्गत संचालित संकायवार निर्धारित विषय समूह की सूची सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर तत्सम्बन्धित सेमेस्टर/कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में **14 अगस्त** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई. आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :–

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 **स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–**

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस. सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नही दिया जायेगा। संकायवार निर्धारित विषय समूह के अनुरूप हीं प्रवेश दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रत्येक सम सेमेस्टर (द्वितीय/चतुर्थ/षष्टम/अष्टम) में प्रवेश नवीनीकरण तथा विषम सेमेस्टर (तृतीय/पंचम/सप्तम) में नियमित प्रवेश की पात्रता सम्बन्धित अध्यादेश/विनियम में उल्लेखित प्रोन्नत्ती नियम (Promotion Rule) के अनुसार ही होगी तथा किसी सेमेस्टर में विषय परिवर्तन की पात्रता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरुप ही होगी।

ग) स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के सप्तम में नियमित प्रवेश सम्बन्धित अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार दिया जायेगा।

5.3 **स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–**

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी. एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर–भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर के क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण तथा द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता सम्बन्धित **विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय** अध्यादेश में उल्लेखित **प्रोन्नति नियम (Promotion Rule) के अनुसार** हीं होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु –

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर सेमेस्टर में, बैकलॉग कोर्स सम्बन्धित/सेमेस्टरवार प्रोन्नति नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
3. स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तीन वर्ष के बाद एक्जिट होने वाले विद्यार्थी को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 **विधि संकाय नियमित प्रवेश :–**

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

(घ) बी.ए. एल.एल.बी./बी.कॉम. एल.एल.बी. पाठ्यक्रम की कक्षाओं में प्रवेश बार कौंसिल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किया जायेगा

5.5 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–**

"विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, **अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी।** तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. **समकक्ष परीक्षा :–**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण सस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/ समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :**

7.1 स्नातक स्तर पर वर्षिक प्रणाली अन्तर्गत बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.–सी./बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय से द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष परीक्षा (वार्षिक प्रणाली हेतु) अथवा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत संचालित सेमेस्टर में क्रेडिट स्थनान्तरण के प्रावधान सम्बन्धित अध्यादेश में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जायेगा। तदनुसार स्नातक के तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाना कोर्स मिलान एवं क्रेडिट स्थनानंतरण पर आधारित होगा तथा सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियमानुसार दिया जायेगा।

7.4 वर्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु – विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :**

8.1 वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत शेष वर्ष हेतु **स्नातक स्तर** की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में बैकलॉग परिणाम वाले आवेदकों को अगली सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश की पात्रता, सम्बन्धित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय के अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा (वर्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु लागू)।

9 **प्रवेश हेतु अर्हताएं :–**

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी सत्र/सत्रों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परन्तु अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है अथवा स्वधायी विद्यार्थी के रूप में उसी संकाय में पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकता है, यदि वह कण्डिका 9.2 एवं 9.3 के परिधि में शामिल न हो।

यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जायेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

9.4 प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.08. 2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यकमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परन्तु स्वधायी विद्यार्थी के रूप में अन्य संकाय में स्नातक पाठ्यकम पूर्ण कर सकता है, यदि वह कण्डिका 9.2 एवं 9.3 के परिधि में शामिल न हो।

9.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरूप स्नातक स्तर पर स्वध्यायी विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (तृतीय/पंचम/सप्तम) में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जायेगा।

9.8 विदेशी नागरिकता अथवा विदेशी विश्वविद्यालय/बोर्ड से उतीर्ण विद्यार्थी को प्रवेश प्रदान करने के सम्बन्ध में यू.जी.सी. द्वारा जारी प्रावधानों/नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता निर्धारण नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

10. प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जायेगी।

11. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–**

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार संचालित 3/4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अन्तर्गत अगली कक्षाओं/सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश/विनियम में प्रावधनित नियमानुसार होगा, तथापि प्राथमिकता नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के 3/4 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. **आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–**

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें ।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of

reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाये।

टीप :– **अवर सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कं. एफ 13–1/2023/आ.प्रा./1–3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरुप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कं. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।**

13. **अधिभार :**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(ञ)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओ/सेमेस्टरं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक तृतीय/पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :–**

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अकादमिक कैलेण्डर में निर्धारित सतत आंतरिक मूल्यांकन के प्रथम चरण के पूर्व दिनांक तक हीं दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 **शोध छात्र :**

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं विश्वविद्यालय के पी.–एच.डी. अध्यादेश /विनियम/अधिनियम के अनुरूप रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। **संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।**

16 **विशेष :**

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न/शुद्धिकरण का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

====000===

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद (छ.ग.) में प्रवेश के समय लिये जाने वाले शुल्क का विवरण :–

शासकीय शुल्क		**राशि (रूपये में)**
1. शिक्षण शुल्क	–	115/– अ.ज.जा, अजा. तथा बालिकाओं को छूट
2. प्रवेश शुल्क	–	03/–रूपये
3. स्टेशनरी शुल्क	–	02/–रूपये
4. प्रायोगिक शुल्क	–	20/–रूपये (प्रायोगिक विषय वाले प्रवेशार्थियोंको)
अशासकीय शुल्क		**राशि (रूपये में)**
1. सम्मिलित निधि	–	32/–रूपये
2. स्नेह सम्मेलन/युवा उत्सव	–	30/–रूपये
3. परिचय पत्र	–	30/–रूपये
4. साइकल स्टैण्ड	–	30/–रूपये
5. महाविद्यालय विकास	–	25/–रूपये
6. छात्रसंघ	–	30/–रूपये
7. चिकित्सा	–	03/–रूपये
8. निर्धन सहायता	–	05/–रूपये
9. रीडिंग रूम	–	30/–रूपये
10. शारीरिक कल्याण शुल्क	–	150/–रूपये
11. स्थानीय परीक्षा	–	75/–रूपये
12. सुरक्षा निधि	–	60/–रूपये (प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय तथा महाविद्यालय छोड़ने पर वापस)
13. रेडक्रॉस	–	40/–रूपये

जनभागीदारी शुल्क	**राशि (रूपये में)**
1. बी.ए., बी.कॉम तथा बी.एस.सी. के प्रवेशार्थी के लिए	– 700/– रूपये (प्रत्येक सत्र में)
2. बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस विषय के प्रवेशार्थियों के लिए	– 2000/–रूपये (प्रत्येक सत्र में)

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के लिए शुल्क

1. शिक्षण शुल्क (पीजीडीसीए)	–	8000/–रूपये (प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के समय)
	–	7000/–रूपये (द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश के समय)
शिक्षण शुल्क (डीसीए)	–	5000/–रूपये (प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के समय)
	–	5000/–रूपये (द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश के समय)
2. अन्य शुल्क	–	बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में देय शुल्क के समान।

एलुमिनी शुल्क (महाविद्यालय छोड़ने पर) – 100/– रूपये

नोट :–

1. उपरोक्त शुल्क परिवर्तनीय है।
2. सभी शुल्क (परीक्षा तथा नोड्यूस शुल्क को छोड़कर) प्रवेश के समय एक साथ जमा करने होंगे।
3. वार्षिक, सेमेस्टर, पूरक तथा ATKT परीक्षा के शुल्क का निर्धारण हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
4. प्रवेश के समय लिये जाने वाला शुल्क (सुरक्षा निधि को छोड़कर) प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वापस नही किया जाएगा।

संक्षिप्त प्रवेश शुल्क विवरण

क्रं.	कक्षा	सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र के लिए	समस्त छात्राएँ, अजा तथा अजजा के छात्र के लिए
01	बी.ए. (भूगोल विषय के साथ) तथा बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर, तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर के लिए।	1405/–	1290/–

02	बी.ए. (भूगोल विषय के बिना) तथा बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर, तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर के लिए।	1385/–	1270/–
03	बी.ए. भाग तीन (भूगोल विषय के साथ) तथा बी. एस.सी. भाग तीन	1345/–	1230/–
04	बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस विषय के साथ) प्रथम सेमेस्टर, तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर के लिए।	2705/–	2590/–
05	बी.एस.सी. भाग तीन (कम्प्यूटर साइंस विषय के साथ)	2645/–	2530/–
06	एम.ए. समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर	1385/–	1270/–
07	एम.ए. समाजशास्त्र तृतीय सेमेस्टर	1325/–	1210/–
08	बी.ए. भाग तीन (भूगोल विषय के बिना) तथा बी.कॉम. तीन	1325/–	1210/–
09	पी.जी.डी.सी.ए. प्रथम सेमेस्टर	9290/–	9290/–
10	पी.जी.डी.सी.ए. द्वितीय सेमेस्टर	7000/–	7000/–
11	डी.सी.ए. प्रथम सेमेस्टर	6290/–	6290/–
12	डी.सी.ए. द्वितीय सेमेस्टर	5000/–	5000/–

नोट :– उपरोक्त शुल्क परिवर्तनीय है तथा शुल्कों में शासन/महाविद्यालय विकास समिति के द्वारा कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

शुल्क संबंधी छूट

1. स्नातकोत्तर स्तर तक छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। (स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)
2. स्नातक स्तर तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियों को शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। (प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)
3. भूतपूर्व सैनिक के पुत्र–पुत्री स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षण शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है। (प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक कक्षाओं के लिए शुल्क

बी.ए. तथा बी.एस.सी. कक्षाओं में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के निर्देशानुसार प्रायोगिक विषयों का चयन करने वाले परीक्षार्थियों को महाविद्यालय में चार सप्ताह का प्रायोगिक कोर्स करना अनिवार्य है, जिसके लिए महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य है। इन कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क महाविद्यालय में जमा करना होगा। प्रायोगिक विषयों में अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं को संबंधित सेमेस्टर के सितम्बर/मार्च माह में प्रवेश दिया जायेगा। स्नातक भाग तीन के लिए सितम्बर 2025 को प्रवेश लेना होगा

1. बी.एस.सी. भाग – एक , दो एवं तीन
2. बी.ए. भाग – एक , दो एवं तीन (भूगोल)

प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र तथा प्रमाण पत्रों की सूची

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र/ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदन की हार्डकापी।
2. 10वीं एवं 12वी. उत्तीर्ण होने की अंकसूची की छायाप्रति।
3. बी.ए., बी.एस.सी. तथा बी.कॉम सेमेस्टर तीन में प्रवेश के लिए एक एवं दो सेमेस्टर की अंकसूची की छायाप्रति।
4. बी.ए., बी.एस.सी. तथा बी.कॉम भाग तीन में प्रवेश के लिए भाग – एक एवं दो की अंकसूची की छायाप्रति।
5. एम.ए./एम.एस.सी./पी.जी.डी.सी.ए. में प्रवेश लेने के लिए स्नातक (तीनों भाग) की अंकसूची की छायाप्रति।
6. पिछली संस्थान/शाला/महाविद्यालय छोड़ने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) की मूलप्रति।
7. पिछली संस्थान/शाला/महाविद्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
8. छत्तीसगढ़ प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

9. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/बी. पी.एल./गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के स्थायी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
10. आधारकार्ड की छायाप्रति।
11. बैंक पासबुक में व्यक्तिगत तथा खाता क्रमांक अंकित पृष्ठ की छायाप्रति।
12. समय अंतराल (Gap Affidavit) यदि किसी शिक्षा सत्र में अंतराल रहा हो तो की मूलप्रति।
13. पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो 02 नग।
14. अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी माइग्रेशन सर्टिफिकेट/पात्रता प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
15. परिचय पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी।
16. N-List में सदस्य बनने हेतु निर्धारित प्रपत्र में जानकारी।
17. इच्छुक छात्र/छात्राओं एन.एस.एस./रेडक्रॉस/रेड रिबन के सदस्य बनने हेतु निर्धारित प्रपत्र में जानकारी।

नोट :– जिस प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना है, उनकी प्रवेश लेते समय मूलप्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। मूल प्रति के अभाव में प्रवेश स्थगित/प्रवेश पर रोक या मेरिट सूची से नाम हटाया जा सकता है। प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित लिखकर हस्ताक्षर तथा नाम लिखा होना चाहिए।

सुरक्षा निधि का प्रत्यावर्तन

छात्र/छात्राओं के मध्य या सत्रांत में किसी कारण महाविद्यालय से सीानान्तरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते है, उसी समय सुरक्षा निधि के वापसी के लिए आवेदन कर सकते है। सुरक्षा निधि वापसी के लिए ग्रंथालय, प्रयोगशाला, खेलकूद एवं कार्यालय से अशेष प्रमाण पत्र प्राप्त करके आवेदन के साथ संलग्न कर संबंधित प्रभारी सहायक ग्रेड के पास जमा करना होगा। सुरक्षा निधि की वापसी 15 कार्य दिवस के अंदर नकद या बैंक खाता में सीानान्तरित किया जा सकेगा।

एलुमिनी

महाविद्यालय से पासआउट होने वाले छात्र/छात्राओं के संघ का गठन किया गया है, जो कि शासन से पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त है। सदस्यों में से संघ का अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य कार्यकारणी का निर्वाचन किया जाता है। संघ के गठन का उद्देश्य नये छात्र/छात्राओं को अनुभव का लाभ देना, मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करना है, साथ–साथ आपस में एक–दूसरे की मदद तथा आपसी मेलजोल बनाये रखना है। संघ का आजीवन सदस्य बनने के लिए 100/– रूपये का शुल्क संघ के खाते में भुगतान करना होता है।

छात्र–छात्राओं के लिए समय–सारणी

महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार समय चक्र का पालन करता है। प्रातः 10:30 बजे से संध्या 05:30 बजे तक महाविद्यालय का कार्यालय शनिवार एवं रविवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस खुला रहता है, जबकि प्रत्येक कार्य दिवसों में कक्षाओं का संचालन किया जाता है। सत्र के प्रारंभ में कक्षाओं की समय–सारणी जारी किया जाता है, जिसके अनुसार विषयों का अध्ययन–अध्यापन होता है। सैद्धान्तिक कालखण्ड 40/45/60 मिनट होता है, जबकि प्रायोगिक कक्षाएँ 80/90/120 मिनट का होता है।

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध सुविधाएँ

1. व्याख्यान कक्ष ग्रीन बोर्ड सहित।
2. भूगोल, भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, कम्प्यूटर सांइस विषयों की प्रायोगशालाएँ।
3. सेमीनार हाल एलसीडी, प्रोजेक्टर सहित ।
4. रीडिंग रूम ।
5. महाविद्यालय की वेबसाइट।
6. पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र।
7. कैरियर काउसिलिंग सेल।
8. पार्किंग शेड।
9. स्मार्ट क्लासरूम।
10. वनस्पति उद्यान।
11. इंडोर बैडमिंटन मैदान।
12. आउटडोर खेलों का मैदान।

13. गर्ल्स कॉमन रूम।
14. पर्याप्त मात्रा में बालक एवं बालिका वॉशरूम।
15. पुस्तकालय में N- List की सुविधा।
16. ग्रंथालय।
17. हेल्पडेस्क।

छात्रवृत्ति

महाविद्यालय में शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों द्वारा छात्र–छात्राओं को प्रदान किये जाने वाले छात्रवृत्ति आवेदनों को अनुशंसित/अग्रेषित किया जाता है। सामान्यतः छात्रवृत्ति आवेदनों को निम्न परिस्थितियों में अनुशासित/अग्रेषित किया जाता है।

1. छात्र–छात्रा महाविद्यालय में नियमित प्रवेशित हो। उसकी सभी विषयों के कक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति हो।
2. शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक आय से पालक की आय कम हो।
3. आवेदक पूरे सत्र में किसी एक छात्रवृत्ति के आवेदन कर रहा हो। एक से अधिक आवेदनों को अग्रेषित नही किया जायेगा।
4. अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं के आवेदनों को पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण करने पर ही अग्रेषित किया जायेगा।

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025–26 के लिए महत्वपूर्ण निर्देश तथा ऑनलाइन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति हेतु निम्नानुसार तिथि कार्यालय कलेक्टर, आदिवासी विकास बालोद द्वारा निर्धारित है।

आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति तिथि	संभावित भुगतान तिथि
नवीनीकरण	31 मई 2025 तक	10 जून 2025 तक
	31 अगस्त 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक
	30 नवम्बर 2025 तक	31 तिसम्बर 2025 तक
नवीन	31 अगस्त 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक
	30 सितम्बर 2025 तक	31 अक्टूबर 2025 तक
	30 नवम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025 तक

निम्नानुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता निर्धारित है –

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय सीमा रूपये 2.50 लाख प्रतिवर्श तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय सीमा 1.00 लाख प्रतिवर्श, आय प्रमाण पत्र संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जाना होना चाहिए। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण प्रत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र। विद्यार्थी के अध्यनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्श का परीक्षा परिणाम, महाविद्यालय का नियमित प्रवेशित विद्यार्थी होने का प्रमाणित दस्तावेज।
2. बचत खाता एक्टिव तथा आधार सीडेड बैंक खाता नंबर।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी NSP PORTAL से OTR (ONE TIME REGISTRATION) प्राप्त करना आवश्यक है।

2. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिन छात्र–छात्राओं के पालक गरीबी रेखा से नीचे या बी.पी.एल. कार्डधारी है उन्हे स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में इस छात्रवृत्ति की पात्रता है। इसके लिए शासन द्वारा जारी बी.पी.एल कार्डधारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, इसके अलावा आवेदक पिछली कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंको से उत्तीर्ण तथा पालक का वार्षिक आय 25,000/– रूपये से कम होना चाहिए।

3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति :–

केन्द्र शासन द्वारा यह छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। यह छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन की हार्डकापी महाविद्यालय में जमा करना होता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की तुलना में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की

मासिक दर से अधिक होती है। इसका आवेदन ऑनलाइन करना होता है, इसके अलावा महाविद्यालय द्वारा निःशक्त जन छात्रवृत्ति, नैनिहाल छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, श्रम छात्रवृत्ति आदि छात्रवृत्ति के आवेदनों को अग्रेषित किया जाता है।

नोट :– छात्र–छात्रा को एक सत्र में कोई भी एक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। किसी त्रुटिवश दो छात्रवृत्ति के आवेदन अग्रेषित हो जाता है तो छात्र–छात्रा को एक छात्रवृत्ति वापस किये जाने के बाध्य होगा। यदि गलत जानकारी देकर एक से अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो शासन के नियमानुसार दण्ड का भागी होगा।

नियमित परीक्षार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

1. प्रत्येक विषय के कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन.एस.एस./खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ से 31 अक्टूबर तक की जायेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल किया जायेगा।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा तथा उनके पालकों को सूचना दी जावेगी। उपस्थिति की द्वितीय गणना प्रत्येक सेमेस्टर के मध्य तथा प्रायोगिक परीक्षा के पहले तक किया जायेगा।

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता सामान्य नियम

छ.ग. के शासकीस महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा।

1. प्रत्येक विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नही होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र अव्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली–गलौज, मारपीट या आग्नेय आस्त्रों का प्रयोग नही करेगा।
4. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल नित्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
5. महाविद्यालय एवं छात्रावास सीमा में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित करेगा।
6. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या विद्यार्थी को असामाजिक या विद्यार्थी को असामाजिक या अपराधियों में लिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
7. वह अपनी मांगे प्रदर्शन आंदोलन तथा आतंक फेलाकर नही करेंगे, विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगे मनवाने के लिए राजनीतिक दलो, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नही लेगा।

8. अध्ययन संबंध नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी, एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगा। अन्यथा वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेगा, उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा सीपित नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित समय के लिए पुस्तक प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा।
4. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी ईकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थ होने पर आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित नही होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो शैक्षणिक संस्थानों में प्रताडना अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर कारावास की सजा या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जावेगा।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में देय शुल्क का भुगतान नही करता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपाएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

   महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्र में उसका पालक/अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति में सम्मुख करेंगे।

<u>रैगिंग एवं दण्ड</u>

रैगिंग की त्रासदायी प्रताड़ना को स्थायी रूप से रोका जा सके इसलिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा 1 सितम्बर 2001 को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग का प्रतिशेध) अध्यादेश 2001 जारी किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा रैगिंग को सज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध माना गया है। अध्यादेश में रैगिंग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

(क) रैगिंग से अभिप्रेत है कि किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृतज्ञ करने के लिए उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्य का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो, या उसे अभित्रास सदोश अवराध, सदोश परिरोध या क्षति, या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर अभित्रास देते हुए किसी कार्य से प्रेरित करता हो। रैगिंग का अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा दोषी छात्र/छात्राओं को पॉच वर्ष के करावास की सजा दी जा सकती है तथा उसे संस्था से निष्कासित किया जा सकेगा। ऐसे छात्र/छात्रा को किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश से वंचित भी किया जा सकेगा। इस अध्यादेश के अंतर्गत प्रताड़ना का प्रकरण अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के द्वारा अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा उसके छात्रावास में प्रवेश से वंचित करने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को रैगिंग में भाग न लेने संबंधी एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इस वचन पत्र में छात्रों के अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।

रैगिंग के अंतर्गत

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1883 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1995) अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है –

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना जो मानव–मार्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाय या डरा–धमकाकार गलत ढ़ग से रोककर गलत ढ़ंग से बंद करके या उसे चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दवाब डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढ़ंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दवाब डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढ़ग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरूप

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नही) में पाई जाती है।

स्पष्ट आदेश	रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दण्ड
सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए	1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
सामूहिक कवायद करने के लिए	2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
सीनियरों को क्लास–नोट्स उतारने के लिए	3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
अनेंक सौंपे हुए कार्य करने के लिए	4. परीक्षाओं से वंचित करना।
सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए	5. परीक्षा परिणाम रोकना।
अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए	6. राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए शराब उबलती हुई चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना।	7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना। 8. आर्थिक दण्ड रू. 25000/– तक

नोट :– मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला में शासन के निर्देशानुसार एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया गया है।

ग्रंथालय

महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों के अध्ययन–अध्यापन हेतु ग्रंथालय सीपित है, जिसमें कार्यालयीन अवधि में छात्र–छात्राएँ तथा शिक्षक उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों का अध्ययन कर सकते है। नियमित छात्र–छात्राओं को अपने साथ घर में अध्ययन हेतु 15 दिवस के लिए कोई भी एक पुस्तक निःशुल्क जारी किया जाता है। समयावधि में पुस्तक वापस जमा नही करने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है, इसी प्रकार शिक्षकों को भी पुस्तक अध्ययन अध्यापन हेतु निशुल्क जारी किया जाता है। महाविद्यालय ग्रंथालय में वनस्पतिशास्त्र के 580, प्राणीशास्त्र के 685, रसायनशास्त्र – 490, गणित – 270, भौतिकशास्त्र – 118, कम्प्यूटर साइंस – 72, भूगोल – 415, समाजशास्त्र – 275, राजनीतिशास्त्र – 630, अर्थशास्त्र – 110, वाणिज्य – 555, अंग्रेजी – 332, हिन्दी – 710, सामान्य ज्ञान – 250 तथा शासन के नियमों एवं निर्देशों के – 40 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध है। इसके अलावा 10 से अधिक मासिक पत्रिका उपलब्ध है। प्रतिदिन 03 दैनिक समाचार पत्र तथा रोजगार समाचार एवं रोजगार नियोजन पत्रिका भी अध्ययन हेतु उपलब्ध होते है। ऑनलाइन अध्ययन हेतु ग्रंथालय में N-List की भी सुविधा छात्र–छात्राओं/शिक्षक/एलुमिनी के लिए उपलब्ध है।

पाठ्योत्तर गतिविधियॉ

महाविद्यालय में अध्ययन–अध्यापन के अतिरिक्त छात्र–छात्राओं के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (100 सीट) उपलब्ध है, राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत् छात्र–छात्राओं द्वारा स्वच्छता, राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना एवं जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। छात्र–छात्राओं के लिए महाविद्यालय परिसर में खेलकूद के लिए बैटमिन्टन, कब्बडी, क्रिकेट आदि के लिए मैदान निर्मित किया गया है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए महाविद्यालय में कक्षानुसार वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में महाविद्यालय की टीम एकल तथा टीम प्रतियोगिताओं में भाग लेती है, जिसके लिए महाविद्यालय प्रशासन हमेशा सहयोग करता है।

छात्र–छात्राओं को लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय एकता में सहभागीता के लिए स्वीप शाखा भी महाविद्यालय संचालित किया जाता है, समय–समय पर स्वीप अंतर्गत मतदान, निर्वाचन, लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अलावा छात्र–छात्राओं के द्वारा महापुरूषों के जन्म तिथि पर तथा राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। छात्र–छात्राओं द्वारा प्रवेश उत्सव, वार्षिक उत्सव तथा समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

हेल्प डेस्क

महाविद्यालय में नियमित एवं अमहाविद्यालय छात्र–छात्राओं को अध्ययन–अध्यापन, प्रवेश, परीक्षा तथा कार्यालयीन कार्यो में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए महाविद्यालय में हेल्प डेस्क सीापित किया गया है। हेल्प डेस्क के लिए सहायक प्राध्यापक को प्रभारी अधिकारी एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की नियुक्त किया गया है। हेल्प डेस्क द्वारा छात्र–छात्राओं की महाविद्यालय स्तर की सभी समस्याओं को समाधान किया जाता है। उच्च कार्यालयों की समस्या के लिए छात्र–छात्राओं को उचित मार्गदर्शन किया जाता है।

ST/SC/OBC प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में शासन के मंशा अनुरूप ST/SC/OBC प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ में जातिगत, वर्गभेद धर्म आधारित भेदभाव से संबंधित शिकायत छात्र–छात्राएँ एवं महाविद्यालय के अधिकारी तथा कर्मचारी कर सकते है। महाविद्यालय स्थापना से लेकर अभी तक ST/SC/OBC प्रकोष्ठ से संबंधित छात्र–छात्राओं तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ शासन के नियम तथा दिशा निर्देशों के अनुरू41क ार्यावाही किया जायेगा, उक्त कार्यावाही के लिए प्राचार्य द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है।

महाविद्यालय परिसर में उपस्थित होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज/ड्रेस कोड :–

महाविद्यालय में उपस्थित या प्रवेश करने हेतु समस्त नियमित प्रवेशित छात्र–छात्रों को जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में उपस्थित होना चाहिए। किसी छात्र–छात्रा के पास निर्धारित ड्रेस नही होने पर उसे स्वच्छ एवं शालीन ड्रेस पहन कर महाविद्यालय परिसर एवं कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक छात्र–छात्रा के पास महाविद्यालय से जारी परिचय कार्ड होना चाहिए, परिचय कार्ड के अभाव में प्रवेश शुल्क की रसीद साथ रखना चाहिए। परिचय कार्ड या प्रवेश शुल्क रसीद के अभाव में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित है।

छात्र–छात्राओं के अलावा महाविद्यालय परिसर में प्रवेश कर सकने वाले की सूची :–

1. छात्र–छात्रा के पालक/मां/पिता (जब आवश्यक हो तभी)।
2. अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी (परीक्षा के समय)।
3. छात्र–छात्राओं के पूर्व शिक्षक।
4. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आमंत्रित व्यक्ति।
5. महाविद्यालय में गठित जनभागीदारी समितिके अध्यक्ष एवं सदस्य।
6. प्राचार्य/शिक्षक/जनभागीदारी सदस्यों/कर्मचारियों के परिचित व्यक्ति।
7. महाविद्यालय परिसर में निर्माण मरम्मत तथा साफ–सफाई में कार्यरत व्यक्ति।
8. दिव्यांग/बीमार व्यक्ति के सहयोगी। (अनुमति प्राप्त कर)
9. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक, अधिकारी तथा कर्मचारी।
10. जनप्रतिनिधि तथा शासन के अधिकारी/कर्मचारी।
11. प्राचार्य/शासन के अनुमति से उपरोक्त से अन्य व्यक्ति।

जनभागीदारी समिति

महाविद्यालय के संचालन के लिए सम्मानित व्यक्तियों एवं पालकों के मध्य से जनभागीदारी समिति का गठन प्रत्येक दो वर्षो के लिए किया जाता है। अध्यक्ष की मनोनयन क्षेत्रीय विधायक या शासन के अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। वर्तमान में महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय श्री नरेश साहू, गृह ग्राम अरमरीकला, तहसील–गुरूर, जिला बालोद है। शासन के दिशा–निर्देशों अनुसार 16 सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया है। समिति के उपाध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग गुरूर की नियुक्ति कलेक्टर महोदय द्वारा तथा समिति की पदेन सदस्य सचिव प्राचार्य है। समिति द्वारा महाविद्यालय एवं छात्र–छात्राओं के सर्वागीण विकास के लिए अनेक निर्माण कार्य, सामग्री तथा सुझाव महाविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध कराया जाता है। प्रवेश के समय छात्र–छात्राओं से लिये जाने वाले जनभागीदारी शुल्क का उपयोग समिति के अनुशंसा एवं अनुमोदन पश्चात् महाविद्यालय एवं छात्र–छात्राओं के विकास के लिए व्यय किया जाता है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार 2005, लोकतंत्र मे उत्तरदायी सरकार से देश की सामान्य जनता को शासन की कार्यप्रणाली में किये जा रहे सार्वजनिक कार्य, लोक प्राधिकारियों के उत्तर दायित्व जानने का अधिकार देता है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ गठन किया गया है। प्रकोष्ठ के माध्यम से महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाता है। प्रथम आवेदन जनसूचना अधिकारी के पास करना होता है, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन तथा शुल्क जमा करना होता है।

सूचना के अधिकार के तहत् गठित प्रकोष्ठ –

जनसूचना अधिकारी	–	डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर सहायक प्राध्यापक भूगोल
सहायक जनसूचना अधिकारी	–	श्री प्रमोद भारती, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
प्रथम अपीलीय अधिकारी	–	डॉ. कल्पना पॉल, प्राचार्य

जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी से प्राप्त दस्तावेज/जानकारी/उत्तर से आवेदक संतुष्ट नही होने पर 30 दिवस के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी प्राचार्य महोदय के पास 30 दिन के भीतर अपील कर सकते है। प्रथम अपीलीय अधिकारी से संतुष्ट नही होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) के समक्ष 30 दिवस के अंदर अपील कर सकते है।

महाविद्यालय में गठित समितियॉ –

1. **छात्रसंघ**	**प्रभारी /संयोजक**	–	डॉ. यशवंत कुमार साव (सहायक प्राध्यापक हिन्दी)
	सदस्य	–	श्री कमलेश्वर साहू (अतिथि व्याख्याता अंग्रेजी)
20. **अनुशासन समिति :–**			
	संयोजक	–	डॉ. यशवंत कुमार साव (सहायक प्राध्यापक हिन्दी)
	सदस्य	–	समस्त सहायक प्राध्यापक
20. **एन्डी रैगिंग कमेटी :–**			
	संयोजक	–	डॉ. यशवंत कुमार साव (सहायक प्राध्यापक हिन्दी)
	सदस्य	–	डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर (सहायक प्राध्यापक भूगोल)
	,,	–	डॉ.आशीष द्विवेदी (अतिथि व्याख्याता राजनीति विज्ञान)
		–	श्रीमती योगिता ठाकुर (सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र)

20. **महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति :–**

संयोजक	–	डॉ. कल्पना पॉल, (प्राचार्य)
सदस्य	–	श्रीमती योगिता ठाकुर (सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र)
	–	श्रीमती अंजनी पैकरा (अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र)
	–	श्रीमती वंदना ध्रुव (अतिथि व्याख्याता अर्थशास्त्र)
	–	श्रीमति छायारानी साहू (प्रयोगशाला तकनीशियन)

20. **ग्रंथालय**

प्रभारी	–	श्रीमती योगिता ठाकुर (सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र)
सहायक	–	श्रीमति छायारानी साहू (प्रयोगशाला तकनीशियन)

सलाहकार समिति का गठन प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

06. सीनीय परीक्षा प्रभारी

संयोजक	–	डॉ. यशवंत कुमार साव (सहायक प्राध्यापक हिन्दी)
सदस्य	–	डॉ. आशीष द्विवेदी (अतिथि व्याख्याता राजनीति विज्ञान)
सदस्य	–	कु. सारिका टण्डन (अतिथि व्याख्याता वनस्पतिशास्त्र)

07. अनुसूचित जाति /जनजाति प्रकोष्ठ

संयोजक	–	डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर (सहायक प्राध्यापक भूगोल)
सदस्य	–	श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य)
सदस्य	–	श्रीमती योगिता ठाकुर (सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र)

08. . छात्रवृत्ति समिति – अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/बी.पी.एल./निर्धन छात्र सहा. समिति)

संयोजक	–	डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर (सहायक प्राध्यापक भूगोल)
सदस्य	–	श्रीमति छायारानी साहू (प्रयोगशाला तकनीशियन)
सदस्य	–	श्री मनीष कुमार सागर

09. प्रेस विज्ञप्ति, वेबसाइट एवं फोटोग्राफी समिति

संयोजक	–	श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य)
सदस्य	–	श्री कमलेश्वर साहू (अतिथि व्याख्याता अंग्रेजी)

20. IQAC **समिति :–**

IQAC **समन्वयंक**	–	डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर (सहायक प्राध्यापक भूगोल)
सहायक समन्वयंक	–	श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य)
सहायक समन्वयंक	–	श्रीमती योगिता ठाकुर (सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र)

महाविद्यालय में गठित IQAC के समस्त सदस्य इस समिति के सदस्य है।

20. **रोजगार मार्गदर्शन एवं व्यक्तित्व विकास समिति :–**

संयोजक	–	डॉ. आशीष द्विवेदी (अतिथि व्याख्याता राजनीति विज्ञान)
सदस्य	–	श्री कमलेश्वर साहू (अतिथि व्याख्याता अंग्रेजी)
सदस्य	–	कु. सुमन कश्यप (अतिथि व्याख्याता कम्प्यूटर सांइस)
सदस्य	–	कु. संगीता यादव (अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र)

20. **सामग्री क्रय समिति :–**

संयोजक	–	डॉ. यशवंत कुमार साव (सहायक प्राध्यापक हिन्दी)
सदस्य	–	श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वणिज्य)
सदस्य	–	श्रीमती योगिता ठाकुर (सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र)
सदस्य	–	श्रीमति छायारानी साहू (प्रयोगशाला तकनीशियन)

20. **साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति**

संयोजक	–	डॉ. यशवंत कुमार साव (सहायक प्राध्यापक हिन्दी)
सदस्य	–	डॉ. आशीष द्विवेदी (अतिथि व्याख्याता राजनीति विज्ञान)
सदस्य	–	श्री कमलेश्वर साहू (अतिथि व्याख्याता अंग्रेजी)
सदस्य	–	श्रीमती अंजनी पैकरा (अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र)
सदस्य	–	श्रीमती ममीता साहू (अतिथि व्याख्याता गणित)

20. **राष्ट्रीय सेवा योजना एवं स्वच्छता अभियान**

प्रभारी	–	श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य) राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी द्वारा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा।

15. शिक्षक पालक समिति –
प्रभारी – डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर (सहायक प्राध्यापक भूगोल)
सदस्य – श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य)
सदस्य – श्रीमती योगिता ठाकुर (सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र)

16. ALUMENI ASSOCIATION –
प्रभारी – डॉ. यशवंत कुमार साव (सहायक प्राध्यापक हिन्दी)
सदस्य – श्री राघो सिंह ठाकुर (सहायक)

17. जनभागीदारी बैठक व्यवस्था एवं आय – व्यय प्रस्तुतीकरण

प्रभारी	–	श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य)
सदस्य	–	श्री भूपेन्द्र साहू (सहायक)

18. शिकायत निवारण समिति

	–	डॉ. यशवंत कुमार साव (सहायक प्राध्यापक हिन्दी)
	–	डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर (सहायक प्राध्यापक भूगोल)
	–	श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य)
	–	श्रीमती योगिता ठाकुर (सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र)

19. क्रीडा विभाग

प्रभारी	–	डॉ. यशवंत कुमार साव (सहायक प्राध्यापक हिन्दी)
	–	श्री राघो सिंह ठाकुर (सहायक)
	–	श्री गुलाबसंद साहू (सहायक)

20. **नेशनल अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS)**

नोडल अधिकारी	–	श्रीमती योगिता ठाकुर (सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र)

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला में कार्यरत प्राचार्य/सहायक प्राध्यापक/अतिथि व्याख्याता/ अंशकालीन व्याख्याता सत्र 2025–26 की सूची

क्रं.	नाम	पद	विषय	शैक्षणिक योग्यता
01	डॉ. कल्पना पॉल	प्राचार्य	अंग्रेजी	एम.ए., पी.एच.डी. अंग्रेजी
02	डॉ.यशवंत कुमार साव	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी	एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत) बी.एड., एम. फिल., नेट, सेट, पी.एच.डी. हिन्दी
03	डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर	सहायक प्राध्यापक	भूगोल	एम.ए., एम.फिल. पी.एच.डी. यू.जी.सी. नेट भूगोल
04	श्री प्रमोद भारती	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य	एम.कॉम, सी.जी. सेट
05	श्रीमती योगिता ठाकुर	सहायक प्राध्यापक	प्राणीशास्त्र	एमएससी. सीजी सेट लाइफ साइंस
06	डॉ. आशीष द्विवेदी	अतिथि व्याख्याता	राजनीति विज्ञान	एम.ए.,एम. फिल., पीएचडी. राजनीति विज्ञान
07	डॉ. वंदना ध्रुव	अतिथि व्याख्याता	अर्थशास्त्र	एम.फिल., एम.ए. सेट अर्थशास्त्र
08	श्रीमती अंजनी पैकरा	अतिथि व्याख्याता	समाजशास्त्र	एम.फिल, एम.ए. सेट समाजशास्त्र
09	श्री कमलेश्वर साहू	अतिथि व्याख्याता	अंग्रेजी	एम.फिल., एम.ए. अग्रेजी
10	डॉ. रूची ताम्रकार	अतिथि व्याख्याता	रसायनशास्त्र	एमएससी. पी.एच.डी. रसायनशास्त्र
11	श्री मयंक कुमार साहू	अतिथि व्याख्याता	भौतिकी	एमएससी. नेट भौतिकशास्त्र
12	कु. सुमन कश्यप	अतिथि व्याख्याता	कम्प्यूटर सांईस	एमएससी. नेट कम्प्यूटर सांइस
13	कु. सारिका टण्डन	अतिथि व्याख्याता	वनस्पतिशास्त्र	एमएससी. वनस्पतिशास्त्र
14	श्रीमती मतीता	अतिथि व्याख्याता	गणित	एम. फिल., एम.एस.सी. गणित
15	श्रीमती अनुराधा सोनी	अतिथि व्याख्याता	वाणिज्य	एम.कॉम. एम. फिल. वाणिज्य
16	कु. संगीता यादव	अतिथि व्याख्याता	समाजशास्त्र	एम.ए. समाजकार्य, यू.जी.सी. जे.आर. एफ. नेट
17	रिक्त	सहायक प्राध्यापक	समाजशास्त्र	–
18	श्रीमती दामिनी झा	अंशकालीन शिक्षक	कम्प्यूटर	एम.एस.सी. कम्प्यूटर सांईस

महाविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
01	श्रीमती छायारानी साहू श्री रूद्रप्रताप सोम	प्रयोगशाला तकनीशियन	05	02	03
02	रिक्त	सहायक ग्रेड 01	01	00	01
03	रिक्त	सहायक ग्रेड 02	01	00	01
04	रिक्त	सहायक ग्रेड 03	01	00	01
05	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक	04	00	04
06	श्री राघोसिंह ठाकुर	भृत्य	02	02	00
07	श्री मनीष कुमार सागर				
08	रिक्त	चौकीदार	01	00	01
09	रिक्त	स्वच्छक (कलेक्टर दर)	01	00	01
10	श्री दुर्गेश कुमार देवदास	कम्प्यूटर ऑपरेटर	जनभागीदारी कर्मचारी		
11	श्री भूपेन्द्र साहू	लेखापाल			
11	श्री गुलाबचंद साहू	चौकीदार			
12	श्री अंगदराम यादव	स्वच्छक			

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम – 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011(क्र 23 सन् 2011) की धारा 3/45 एंव 7 द्वारा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाले सेवा प्रदानकरने के लिए निश्चित की गई समय सीमा

पदाभिहित अधिकारी सक्षम अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी

प्रपत्र–2 (नियम –16) अनूसूची

पदाभिहित अधिकारी का नाम–डॉ कल्पना पॉल, प्राचार्य

मदन लाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला – बालोद (छ.ग.)

क्र.	अधिसूचित लोकसेवा	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की सूची	सेवायेंप्रदान करने के लिए निश्चित समय– सीमा	सक्षम अधिकारी का नाम एंव पदनाम	अपील प्राधिकारी का नाम एंव पदनाम एवं कार्यालय का पता	अपील के निराकरण हेतु समय–सीमा
1	2	4	5	6	7	8
1	सभी प्रकार के रिफण्ड का भुगतान	आवेदन पत्र एंव सबंधित रसीद की मूलप्रति अंकसूची की छायाप्रति	15 दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिन
2	महाविद्यालयीन प्रवेश का निपटारा	मूल स्थाणतरण प्रमाण पत्र अर्हकारी परीक्षा के अंकसूची की छायाप्रति, पासपोर्ट फोटो आवश्यकतानुसार प्रमाण पत्र तथा माईग्रेशन नाम परिवर्तन आदि तथा निर्धारित शुल्क	प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिन
3	छात्रवृत्ति स्वीकृति	निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति, आय, जाति, एवं निवास प्रमाण पत्र, फीस कार्ड परिचय पत्र संबंधित प्रमाण पत्र तथा बीपीएल कार्ड की प्रति।	30 दिन के भीतर	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिन
4	छात्रवृत्ति का भुगतान	परिचय पत्र राष्ट्रीयकृत बैक का खाता क्रमांक।	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिन
5	पुस्तकों का प्रदाय	आवेदन पत्र, परिचय पत्र, लाईब्रेरी कार्ड	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिन
6	स्थानांतरण प्रमाण/चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना	निर्धारित आवेदन पत्र, अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति प्रथम प्रवेश के समय का शुल्क रसीद	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिन
7	परिचय पत्र जारी करना	शुल्क रसीद एवं प्रवेश कार्ड की मूल प्रति	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिन
8	छात्रावास में प्रवेश	आय, जाति, निवास एवं दूरी प्रमाण पत्र, अंकसूची, परिचय पत्र,	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिन
9	मार्कशीट	आवेदन पत्र,परीक्षा प्रवेश पत्र/परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिन
10	पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम व कक्ष :– श्रीमती छायारानी साहू (प्रयोगशाला तकनीशियन) कक्ष – कार्यालय कक्ष।					

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद (छ.ग.)

पासपोर्ट फोटो
चिपकाएं
पिछले 2 माह के
भीतर का फोटोग्राफ
होना चाहिए

क्रमांक :

पाठ्यक्रम/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र
सत्र – .....

आवेदक का नाम : .....

कक्षा एवं सेमेस्टर जिसमें प्रवेश चाहिए :.....

अर्हकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांक : .....

अर्हकारी परीक्षा में कुल पूर्णांक : .....

प्राप्तांको का प्रतिशत : .....

प्रवेश हेतु अनुशंसित प्रवेश प्रभारी के हस्ताक्षर एवं तिथि

कक्षा /सेमेस्टर /संकाय/वर्ग : .....

भाग/वर्ग/सेमेस्टर : .....

प्रवेश संख्या : .....

तिथि : .....

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद (छ.ग.)

//पावती// **क्रमांक .....**

श्री/कु./श्रीमती ..... का कक्षा/सेमेस्टर .....
में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र क्रमांक ..... प्राप्त किया।

दिनांक ..... हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद (छ.ग.)

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

1. कक्षा/पाठ्यक्रम एवं सेमेस्टर जिसमें प्रवेश चाहिये : .....

2. जो विषय लेना चाहता है – DSC/DSE

1. : .....4. VAC/SEC .....

2 : .....5. AEC .....

3 : .....6. GE .....

3. आवेदक का पूरा नाम : .....

4. जन्म तिथि (अंको में) : .....

(शब्दों में) : .....

5. रक्त समूह (ब्लड ग्रुप) : ..... अनिवार्य रूप से भरे

(अ) पिता का नाम : .....

(ब) माता का नाम : .....

व्यवसाय ..... जाति .....

6. आवेदक का स्थायी पता : .....

आवेदक का स्थानीय : .....

7. जन्म स्थान ..... पोस्ट :.....

जिला ..... राज्य : .....फोन/मो. नं. .....

8. संरक्षक का नाम (यदि पिता जीवित नहीं) : .....

आवेदक से संबंध : .....

संरक्षक का पूरा पता : .....

9. पिता/संरक्षक का व्यवसाय : .....

पिता/संरक्षक के छत्तीसगढ़ में रहने की अवधि : .....

आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग : .....

विमुक्ति जाति/छ.ग. पिछड़े वर्ग की सूची किस जाति का है : .....

शासन की तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की संतान हो : .....

तो उसका पूर्ण विवरण तथा प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें : .....

10 पिछली संस्था का नाम जिसमें : .....

11. छात्र/छात्रा ने अध्ययन किया है : .....

12. अध्ययन वर्ष : .....

आवेदक का शैक्षणिक प्रगति का विवरण :–

कक्षा का नाम	रोल नं.	परीक्षाफल	प्राप्तांक एवं पूर्णांक	पूरक या ATKT के विषय	बोर्ड/वि.वि. का नाम	परीक्षा में लिये गये विषय
हायर सेकेण्डरी						
बी.ए./ बी.एस.सी/ बी.कॉम भाग 01 या सेमेस्टर 01 एवं 02						
बी.ए./ बी.एस.सी./ बी.कॉम भाग 02 या सेमेस्टर 03 एवं 04						
बी.ए./ बी.एस.सी./ बी.कॉम भाग 03 या सेमेस्टर 05 एवं 06						
एम.ए. समाजशास्त्र /पीजीडीसीए /डीसीए प्रथम सेमेस्टर						
एम.ए. समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर						
एम.ए. समाजशास्त्र तृतीय सेमेस्टर						

13. पिछली परीक्षा का माध्यम : .....
14. क्या गत चार वर्षो में आवेदक का अध्ययन कम जारी रहा : .....
15. खेलकूद/एन.सी.सी./ए.सी.सी./एन.एस.एस./समाज सेवा अन्य में भाग लिये हो तो उल्लेख करें : .....
16. क्या आवेदक सेवारत है ? :.....
    (अनुमति संलग्न करें)
17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची 1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति, 2. अंकसूची 3. निवासी प्रमाण पत्र। 4. चरित्र प्रमाण पत्र 5. प्रवजन प्रमाण पत्र।

टिप्पणी :– प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करनी होगी।

दिनांक .....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
नाम .....

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये समस्त नियमों, व्यवस्थाओं एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अध्ययनरत रहकर अपने कर्तव्यों, महाविद्यालय के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी एवं परीक्षा में किसी अव्यवस्था, अनुशासनहीनता एवं हिसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष में कोई भाग नही लूंगा/लूंगी। प्रत्येक मामले में प्राचार्य महाविद्यालय के निर्णयों का पालन करूंगा/करूंगी। मेरी ओर से महाविद्यालय का कोई भी शुल्क या अन्य किसी संबंध में कोई राशि देय नही है, तथा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध गत वर्षो में अनुशासन भंग, दुराचरण परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग या दुर्व्यवहार अथवा किसी कारण से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है। मैंने समस्त जानकारी ऊपर दे दी है तथा उसमें जब कोई परिवर्तन होगा, उसकी सूचना तुरंत दूंगा/दूंगी। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने किसी भी तथ्य को नही छिपाया है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपर्युक्त प्रतिज्ञा के उलंघन करने की स्थिति में मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और अन्य अनुशासकनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

मैंने महाविद्यालय के विवरण पत्रिका में दिये छात्रों के आचरण नियमों तथा ब.सि.स. तथा 46 2002 दिनांक 03 जून 1976 को पढ़ लिया है और प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं उनका पूर्ण रूप से पालन करूंगा/करूंगी।

टिप्पणी – यदि कभी कोई कार्यवाही की गई तो उनका विवरण अवश्य दें।

दिनांक .....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

नाम .....

माता /पिता या अभिभावक का घोषण पत्र

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पुत्र/पाल्य द्वारा इस आवेदन में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय विवरणिका के नियमों का अध्ययन मैंने कर लिया है मैं इनके अध्ययन काल में उसके आचरण कार्य उपस्थिति, दैनिक प्रगति एवं व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूरा सहयोग देता रहूँगा। मेरे पुत्र/पाल्य के लिए प्राईवेट ट्यूशन प्राचार्य की सहमति से ही होगी।

स्थान .....

दिनांक .....

पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम .....

संलग्न – 1

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु. ..... का प्रवेश कक्षा .....

.....संस्था का नाम .....

में हो गया है। मैनें उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समक्षा।मैने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैंगिग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।

मैने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूं तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है। मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूं कि –

(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नही करूगॉ/करूंगी जोकि कंडिका–3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।

(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नही बनूंगा/बनूंगी जो कंडिका–3 रैंगिग के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।

मैं सत्य निष्ठा से वचन देता/देती हूं कि यदि रैंगिग में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो मेरे विरूद्व उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

मैं घोषणा करता/करती हूं कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैंगिक जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षड़यंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता/जानती हूं कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा दिनांक ..... माह..... वर्ष .....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

संलग्न – 2

माता/पिता या अभिभावक का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु. ..... (माता–पिता/अभिभावक का पूरा नाम) .....(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश पंजीयन/नामांकन संख्या सहित) ..... संस्था का नाम .... में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

1. मैने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।
2. मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और पूर्ण रूप से अवगत हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैंगिग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
3. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि –
   (अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैंगिग अपराध में सम्मिलित नही होगा जो कि कंडिका–3 के अंतर्गत आता है।
   (ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नही बनेगा जो कंडिका–3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।
4. मैं. सत्यनिष्ठा से वचन देता हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।
5. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा दिनांक ..... माह ..... वर्ष.....

माता/पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर

नाम .....

पता.....

मो. नं. .....

Madanlal Sahu Govt. College Armarikala Ditt- Balod (C.G.)

(Affiliated To : Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg (C.G.)

COMPUTER DATA SHEET

(All entries should be filled by the candidate, entries should be in capital letters)

For Office Use Only

Admission No. : ..... Session : .....

Univ. Enrollment No. ..... Status : Regular/Ex/Supplementry

Receipt No. & Date ..... Rs. .....

Passport size photo

Class :

Name of Student :

Father's Name :

Mother's Name :

Date of Birth :

Address :

Phone/Mobile No. :

Medium : Hindi ☐ English ☐

Religion : Hindu ☐ Muslim ☐ Sikh ☐ Christian ☐ Jain ☐ Boddh ☐

Category : Gen ☐ O.B.C. ☐ S.C. ☐ S.T. ☐

Gender : Male ☐ Female ☐ Third Gender ☐

Subject Offered :

Additional Subject :

Signature

Prof. Incharge Admission

Signature of the Student

Date :

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद में नियमित प्रवेशित छात्र/छात्रों के लिए परिचय पत्र हेतु जानकारी (सभी जानकारी) अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरें।

नवीन पासपोर्ट साइज स्वयं का कलर फोटोग्राफ चस्पा करें। 02 माह से पहले का न हों)

SESSION – …………………….. Valid up to ……………………..

NAME OF THE STUDENTS …………………………………………………………….

FATHERS NAME -……………………………………………………….........

CLASS - …………………………… PART/SEMESTER- ……………..................

ADMISSION NO. -…………………………… DATE- / /

SELF MOBILE NO. - ……………………………………………………..............................

FATHERS/PARANCE MOBILE NO. - ………………………………................................

RESIDENTIAL ADDDRESS :-

WORD NO. …………………… STREET NAME/NO.. ……………………………………………

VILLAGE- ………………………………………………… POST-……………….……………….....

TEHSIL-…………………..…………..…….. DIST - ………..………………..………………….. (C.G.)

PIN CODE - ……………………………………………………………………………..

नोट :— फोटोग्राफ कलर में होना चाहिए तथा बैकग्राउड सफेद होना चाहिए।

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) स्वयं सेवक का पंजीयन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम (Name of Applicant) .....
2. संस्था का नाम (Name of Institute) .....
3. आवेदक की जन्मतिथि .....4. कक्षा (Class) .....वर्ग /संकाय .....
5. रक्त समूह (blood Group) ..... 6. लिंग (Sex) .....
7. जाति (Caste) सामान्य/अल्प संख्यक/अनु. जाति/अनु. ज. जाति/अ.पि.वर्ग .....
8. पिछली परीक्षा का नाम एवं प्राप्तांक प्रतिशत .....
9. सम्पर्क हेतु वर्तमान पता .....
   ..... टेलीफोन/मोबाईल नं. .....
10. स्थायी पता .....
11. मोबाईल नं. ..... ई–मेल आई डी .....
12. पिता /अभिभावक का नाम ..... 13. पिता का व्यवसाय .....
14. माता का नाम ..... 15. परिवार का वार्षिक आय रू. .....
16. पूर्व शिविर अनुभव (यदि हो तो) .....
17. आपकी रूचि व पसंद का क्षेत्र (Your Hobbies and interest) –
    अ. ..... ब. .....
    स. ..... द. .....
18. स्वयं सेवक के रूप में जुड़ने का कारण (Why he/she want to attach as Volunteer)-
    .....
    .....
    .....
    .....

दिनॉक (Date) ..... स्थान (Place) ..... आवेदक का हस्ताक्षर (Applicant Sign) .....

केवल कार्यालय के उपयोग हेतु

(रासेयो पंजीयन संख्या) (NSS Enrolment No.)	(समूह क्रमांक) (Group No.)	(वर्ष) (Year)

CG	02								

कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम
(Signature of NSS Programe Officer)

टीप– यह प्रपत्र संस्था (महाविद्यालयों/विद्यालयों) में ही रखना है।

COLLEGE AT A GLANCE

Establishment Name	:	Madanlal Sahu Govt. College Armarikala, Dist- Balod (C.G.)
Establishment Date	:	23-06-2011
Institution Status	:	Government
Affiliated to	:	Hemchand Yadav University, Durg (C.G.)
Campus Areas	:	20 Acres
Buil-Up-Area	:	1504 Sq.Mtr.
UGC Recognigition	:	Under Section 2F (06-02-2018)
NAAC Recognigition	:	CGPA - 2.006 (2022 TO 2027)
Programm	:	13 (B.Sc.-05, B.A.-04, B.COM-01, M.A.-01 PGDCA-01, DCA- 01)
Total Teaching Staff	:	17